झारखण्ड सरकार

विधि विभाग

झारखण्ड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएँ विधेयक, 2024

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक, 2024

विषय सूची

अनुक्रमणिका

झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक, 2024 8

प्रस्तावना 8

अध्याय 1 8

प्रारंभिक 8

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ 8

2. परिभाषाएं 8

अध्याय II 14

3. कारा और सुधारात्मक संस्थान के कार्य 14

अध्याय III 14

कारा की स्थापत्य वास्तुकला और वर्गीकरण 14

4. बंदियों के लिए आवास 14

5. कारा स्थापत्य वास्तुकला और संस्थागत स्वरूप 15

6. कारा का वर्गीकरण 15

7. बंदियों के लिए अस्थायी आवास 16

अध्याय IV 16

संगठनात्मक संरचना 16

8. कारा और सुधारात्मक सेवाएं निरीक्षणालय 16

9. कारा एवं सुधारात्मक सेवाओं के महानिरीक्षक 16

10. कारा एवं सुधारात्मक सेवाओं के अपर महानिरीक्षक 17

11. कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं के उप महानिरीक्षक 17

12. राज्य कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं अकादमी के निदेशक 17

14. कारा के अन्य अधिकारी 17

अध्याय V 18

कारा अधिकारियों के कर्तव्य 18

15. अधीक्षक के कार्य और कर्तव्य 18

16. कारापाल के कर्तव्य 18

17. चिकित्सा अधिकारी के कर्तव्य 19

18. अन्य कारा अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्य 19

19. अधीक्षक या चिकित्सा अधिकारी का अस्थायी रिक्ति या अनुपस्थिति 19

20. अधिकारियों को बंदियों के साथ कोई व्यापारिक लेन-देन नहीं करना चाहिए 19

21. अधिकारियों को कारा अनुबंधों में रुचि नहीं लेनी चाहिए 19

22. कारा में संधारित किये जाने वाले अभिलेख और रजिस्टर 20

23. कारा अधीनस्थों द्वारा अपराध 20

24. कर्मचारी कल्याण 21

अध्याय VI 21

कारा का डिजिटल रूपांतरण 21

अध्याय VII 21

बंदियों का प्रवेश और मुक्ति 21

26. बंदियों का प्रवेश 21

27. प्रवेश के समय बंदियों की प्रविष्टियां, तलाशी और चिकित्सिय जाँच (मेडिकल स्क्रीनिंग) 22

28. बंदियों की तलाशी 22

29. बंदियों के निजी सामान 23

30. बंदियों का हटाया जाना और उन्मोचन 23

31. बंदियों को परिहार का लाभ 23

32. आजीवन कारावास सजा प्राप्त बंदियों की असमय कारामुक्ति 23

अध्याय VIII 24

बंदियों का अंतरण 24

33. राज्य की कारा में बंद बंदियों का अंतरण 24

34. किसी बंदी का दूसरे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अंतरण 24

35. बीमार बंदियों को इलाज के लिए राज्य के अस्पतालों में स्थानांतरित करना 25

36. बीमार बंदी को दूसरे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा में स्थानांतरित करना 25

अध्याय IX 25

विदेशी बंदियों का प्रवेश, स्थानांतरण और प्रत्यावर्तन 25

37. विदेशी बंदियों का प्रत्यावर्तन 25

अध्याय X 26

बंदियों का वर्गीकरण और कारा में उनका आवासन 26

38. वर्गीकरण समिति की संरचना 26

39. बंदियों का पृथक्करण 26

40. बंदियों का सुरक्षा वर्गीकरण 26

41. मृत्युदंड की सजा पाए बंदी। 27

अध्याय XI 27

कारा सुरक्षा ढांचा 27

42. कारा में सम्यक व्यवस्था और नियंत्रण 27

अध्याय XII 29

बंदियों का मानवाधिकार प्रबंधन 29

43. पर्याप्त जीवन स्तर या बंदियों का संरक्षण 29

44. बंदियों के विधिक अधिकार 30

45. आस्था और उपासना का पालन करने का अधिकार 30

अध्याय XIII 30

बाह्य जगत से मुलाकात/ साक्षात्कार या संपर्क 30

46. अधिकृत संवाद और मुलाक़ात / साक्षात्कार 30

अध्याय XIV 31

अभिरक्षा अनुशासन और विनियमन 31

47. अभिरक्षा अनुशासन और कारा विनियमन 31

अध्याय XV 32

कारा अपराध और दंड 32

48. कारा अपराध 32

49. कारा अपराधों की जांच और ऐसे अपराधों के लिए दंड का निर्धारण 32

50. धारा 49 के अंतर्गत दण्ड की बहुलता 33

51. धारा 49 और धारा 50 के अंतर्गत दंड का प्रावधान 33

52. दंड पुस्तकों में प्रविष्टियाँ 34

53. प्रतिबंधित सामान 34

54. प्रतिबंधित वस्तु की तस्करी और अनधिकृत संवाद के लिए इसके उपयोग के लिए सजा 35

55. कारा में अपराध को बार-बार दोहराने की प्रक्रिया 36

56. कारा अपराधों और दंडों का प्रकाशन 36

अध्याय XVI 36

कारा का चिकित्सा प्रबंधन 36

57. बंदी की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल 36

58. मानसिक स्वास्थ्य - मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और उपचार 36

59. चिकित्सा अधिकारियों के निर्देशों का अभिलेख 37

60. उच्चतर केंद्र के लिए रेफरल 37

61. संक्रामक, संचारी, गैर-संचारी और अधिसूचित रोग 37

62. महामारी 37

अध्याय XVII 37

महिला बंदियों के लिए कारा व्यवस्था 37

63. महिला बंदियों के लिए पृथक्करण और पृथक आवास 37

64. महिला बंदियों के प्रजनन स्वास्थ्य का संरक्षण 38

65. गर्भवती महिला बंदी 38

66. महिला बंदी के साथ बच्चे 38

67. यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच 38

अध्याय XVIII 39

ट्रांसजेंडर बंदी 39

68. ट्रांसजेंडर बंदियों के लिए कारा व्यवस्था 39

अध्याय XIX 39

सुधारात्मक हस्तक्षेप के लिए केस प्रबंधन 39

69. सज़ा कालावधि नियोजन के लिए केस प्रबंधन इकाई 39

अध्याय XX 40

मुक्त और अर्धमुक्त कारा 40

70. मुक्त और अर्ध मुक्त कारा एवं सुधारात्मक संस्थान 40

अध्याय XXI 40
कारा अवकाश 40
71. पैरोल और फरलो 40
अध्याय XXII 41
कारा का निरीक्षण और परिदर्शक का बोर्ड 41
72. कारा का निरीक्षण 41
अध्याय XXIII 42
देखभाल एवं पुनर्वास सेवाएं 42
73. कारामुक्ति उत्तर काल देखभाल और पुनर्वास सेवाएं 42
अध्याय XXIV 42
मिश्रित 42
74. विधिक सहायता 42
75. प्रत्येक जिले के लिए विचाराधीन बंदियों की समीक्षा समिति का गठन 42
76. बंदी की मौत पर रिपोर्ट 42
77. कैंटीन और विक्रय केन्द्रों की स्थापना 42
78. शिकायत निवारण तंत्र 42
79. बंदियों की सेवाओं का उपयोग 43
80. हड़ताल और आंदोलन पर प्रतिबंध 43
81. कारा आपातस्थितियाँ 43

82. बंदियों की बाह्य अभिरक्षा, नियंत्रण और रोजगार 43

83. कारा विकास बोर्ड 43

84. शक्तियों का प्रत्यायोजन 43

85. लेखा एवं अंकेक्षण 43

86. सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण 44

87. सरकार की नियम बनाने की शक्तियाँ 44

88. निरसन और व्यावृति 45

89. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति 45

झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक, 2024

कारा और सुधारात्मक संस्थाओं से संबंधित विधि में संशोधन करने तथा बंदियों के विधि का पालन करने वाला नागरिक होने के लिए बंदियों की सुरक्षित एवं संरक्षित अभिरक्षा, सुधार, उत्थान और पुनर्वास तथा झारखंड राज्य में कारा और सुधारात्मक सेवाओं के प्रबंधन और उससे संबंधित या उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक।

प्रस्तावना

क्यों कि झारखंड राज्य में विधि का पालन करने वाला नागरिक होने के लिए बंदियों की सुरक्षित एवं संरक्षित अभिरक्षा, सुधार, उत्थान और पुनर्वास तथा कारा एवं सुधारात्मक सेवाओं के प्रबंधन और उससे संबंधित या उसके अनुषंगिक विषयों के लिए यह उपबंध करना समीचीन है।

भारत गणराज्य के 75वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ

1. इस अधिनियम को झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं अधिनियम, 2024 कहा जाएगा।
2. इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखंड राज्य पर होगा।
3. यह राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत तिथि को प्रवृत्त होगा और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तिथि नियत की जा सकेंगी और ऐसे किन्हीं उपबंधों में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी संदर्भ का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति संदर्भ है।

2. परिभाषाएं

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

1. **अभिगम नियंत्रण** वह प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसी संरक्षित क्षेत्र के अधिकृत प्रवेश या निकास बिंदु से गुजरने वाले व्यक्ति, सामग्री और परिवहन की पहचान करने और सत्यापन करने के लिए किया जाता है।

2. **खतरे का पूर्वसंकेत (अलार्म)** किसी भौतिक संरचना में अनाधिकृत प्रवेश या निकास की प्रारंभिक चेतावनी है, तथा इसकी निगरानी की जाती है तथा यह पूर्व-निर्धारित प्रतिक्रिया से संबद्ध है।

3. **मुक्त का अर्थ है** किसी अभिरक्षा में या कारा में संसीमित न होना।

4. **अधिकृत संवाद** का तात्पर्य इस अधिनियम के नियमों के अनुसार किया गया संवाद है।

5. **केस मैनेजमेंट** एक क्रमिक गतिविधि है जिसमें कारा संसीमन अवधि के अंतर्गत बंदी के वर्गीकरण, अपराधजन्य आवश्यकताओं की पहचान और सुधारात्मक हस्तक्षेप सम्मिलित है। ये

क्रमिक गतिविधियाँ हैं -कारा में प्रवेश, आकलन, वर्गीकरण, संप्रेषण, हस्तक्षेप, अनुश्रवण, मूल्यांकन और समर्थन।

6. **बंदियों के श्रेणीकरण** से अभिप्रेत है सुरक्षा और लोक संकट आकलन के आधार पर बंदियों का वर्गीकरण, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि बंदी को कारा में कैसे और कहां रखा जाएगा तथा उसे किस सुरक्षा प्रोटोकॉल के अंतर्गत रखा जाएगा।

7. **सिविल बंदी** का अर्थ है कोई भी बंदी जो आपराधिक बंदी नहीं है।

8. **बंदियों का वर्गीकरण** एक प्रबंधन उपकरण है जिसका उपयोग कारा कर्मियों, समुदाय और कारा में अभिरक्षित बंदी की सुरक्षा प्रदान करने के साथ प्रोग्रामिंग और अन्य आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए बंदियों को न्यूनतम प्रतिबंधात्मक अभिरक्षा स्तर पर संसीमित करने के लिए किया जाता है। यह उपकरण उन कारकों के आधार पर अंक प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसके अंतर्गत अपराध श्रेणी, हिंसा का इतिहास, बंदी पलायन का इतिहास, आयु और सजा की विशेषताएं सम्मिलित हो सकती हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। यह वर्गीकरण बंदियों को उनकी सुरक्षा और हस्तक्षेप कार्यक्रम आवश्यकताओं के आधार पर अकालित समूहों में व्यवस्थित रूप से विभाजित करने से सम्बंधित है।

9. **सक्षम प्राधिकारी से** तात्पर्य किसी ऐसे अधिकारी से है जिसके पास किसी विशेष विषय के समाधान के लिए क्षेत्राधिकार और उचित विधिक प्राधिकार हो।

10. **निषिद्ध** का अर्थ और इसके अंतर्गत अवैध या प्रतिबंधित वस्तुओं या उनकी तस्करी है।

11. **नियंत्रण** का अर्थ है आकस्मिक घटनाओं के प्रबंधन और प्रतिक्रिया के लिए कारा सुरक्षात्मक आधारभूत संरचना और उपकरणों का उपयोग तथा बल का प्रयोग।

12. **सिद्धदोष का** तात्पर्य किसी आपराधिक क्षेत्राधिकार या सैन्य न्यायालय द्वारा दण्डित कोई भी बंदी से है।

13. **सिद्धदोष आपराधिक बंदी** का तात्पर्य न्यायालय या कोर्ट-मार्शल की सजा के अंतर्गत किसी भी आपराधिक बंदी से है, और इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अध्याय IX के प्रावधानों के अंतर्गत कारा में निरुद्ध व्यक्ति भी सम्मिलित है।

14. **सुधारात्मक सेवा से** तात्पर्य ऐसी किसी भी सेवा से है जो सुधारात्मक हस्तक्षेप और पुनर्वास के प्रशासन के साथ बंदियों की सुरक्षित और संरक्षित अभिरक्षा प्रदान करती है।

15. **न्यायालय** का अर्थ और इसके अंतर्गत कोई भी अधिकारी सम्मिलित है जो विधिपूर्वक सिविल, आपराधिक या राजस्व क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है।

16. **आपराधिक बंदी** का अर्थ है कोई भी बंदी जिसे किसी न्यायालय या आपराधिक अधिकारिता का प्रयोग करने वाले प्राधिकारी के रिट, वारंट या आदेश के अंतर्गत या कोर्ट-मार्शल के आदेश द्वारा अभिरक्षा में सौंपा गया हो।

17. **अभिरक्षा** का अर्थ है विधि-प्रवर्तन एजेंसी द्वारा वैध रूप से संरक्षित होने की स्थिति या कारा में संसीमित किये जाने की स्थिति।

18. **अभिरक्षा स्तर** का अर्थ है कि कारा में अभिरक्षा स्तर एक बिंदु मूल्यांकन के माध्यम से वर्गीकरण प्रक्रिया को चिह्नित किया जाना है। प्रत्येक अभिरक्षा स्तर कारा में संसीमित बंदियों को प्रभावी और सुरक्षित रूप से प्रबंधित करने के लिए आवश्यक पर्यवेक्षण स्तर को परिलक्षित करता है। उदाहरण के लिए, उच्च अभिरक्षा स्तरों पर वर्गीकृत बंदियों को प्रभावी ढंग से और सुरक्षित रूप से प्रबंधित करने के लिए अधिक पर्यवेक्षण कर्मचारियों की आवश्यकता होती है , साथ ही निम्न सुरक्षा स्तर की अपेक्षा उच्च सुरक्षा स्तर के भौतिक परिसर होते हैं।

19. **प्रतिबंधित बंदी** का तात्पर्य किसी भी ऐसे व्यक्ति से है जिसे प्रासंगिक निवारक कानूनों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर कारा में निरुद्ध किया गया है।

20. **परिवार** का अर्थ है पति/पत्नी, बच्चे, भाई-बहन, माता-पिता, दादा-दादी, तथा ट्रांसजेंडर बंदियों के संदर्भ में, सामाजिक-धार्मिक पारिवारिक व्यवस्था के माध्यम से संबंधित लोग।

21. **विदेशी बंदी** से तात्पर्य ऐसे किसी भी बंदी से है जो भारत का नागरिक नहीं है।

22. **फरलो** का अर्थ है, सजा की निर्धारित अवधि पूरी करने के बाद किसी अपराधी को कारा में अच्छा आचरण बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन के रूप में दिया जाने वाला लघु अवकाश ।

23. **सम्यक व्यवस्था** का अर्थ है और इसमें सम्मिलित है नियमों और विनियमों के एक सेट का अनुप्रयोग जो बंदियों के दैनिक जीवन को उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के डर के बिना स्थापित दिनचर्या के माध्यम से नियंत्रित करता है।

24. **सरकार** का अर्थ झारखंड सरकार से है।

25. **कारा एवं सुधारात्मक सेवाओं के महानिरीक्षक** से तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा इस पद पर पदांकित अधिकारी से है।

26. **निरीक्षणालय** से तात्पर्य झारखंड राज्य के कारा निरीक्षणालय से है।

27. **आदतन अपराधी** का अर्थ है और इसमें सम्मिलित है हिंसा, पलायन, आत्म-क्षति, अव्यवस्थित व्यवहार करने की उच्च प्रवृत्ति वाला बंदी , तथा कारा में अशांति और सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा पैदा करने की संभावना रखता है। इसमें आत्महत्या की प्रवृत्ति से पीड़ित व्यक्ति, तथा मादक द्रव्यों से संबंधित और नशे की लत से पीड़ित व्यक्ति भी सम्मिलित हैं, जो बीच-बीच में हिंसक व्यवहार करते हैं ।

28. **इतिवृति पत्रक से** तात्पर्य ऐसे पत्रक से है जिसमें कारा एवं सुधारात्मक सेवा अधिनियम या उसके अंतर्गत नियमों के अंतर्गत प्रत्येक बंदी के संबंध में अपेक्षित संपूर्ण सुचनाये संकलित हो ।

29. **मानवाधिकार का** अर्थ है और इसमें सम्मिलित है किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार।

30. **चिकित्सा अधिकारी का** तात्पर्य किसी कारा के चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त या प्रतिनियुक्त एक योग्य सरकारी चिकित्सक से है।

18. **अभिरक्षा स्तर** का अर्थ है कि कारा में अभिरक्षा स्तर एक बिंदु मूल्यांकन के माध्यम से वर्गीकरण प्रक्रिया को चिह्नित किया जाना है। प्रत्येक अभिरक्षा स्तर कारा में संसीमित बंदियों को प्रभावी और सुरक्षित रूप से प्रबंधित करने के लिए आवश्यक पर्यवेक्षण स्तर को परिलक्षित करता है। उदाहरण के लिए, उच्च अभिरक्षा स्तरों पर वर्गीकृत बंदियों को प्रभावी ढंग से और सुरक्षित रूप से प्रबंधित करने के लिए अधिक पर्यवेक्षण कर्मचारियों की आवश्यकता होती है , साथ ही निम्न सुरक्षा स्तर की अपेक्षा उच्च सुरक्षा स्तर के भौतिक परिसर होते हैं।

19. **प्रतिबंधित बंदी** का तात्पर्य किसी भी ऐसे व्यक्ति से है जिसे प्रासंगिक निवारक कानूनों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर कारा में निरुद्ध किया गया है।

20. **परिवार** का अर्थ है पति/पत्नी, बच्चे, भाई-बहन, माता-पिता, दादा-दादी, तथा ट्रांसजेंडर बंदियों के संदर्भ में, सामाजिक-धार्मिक पारिवारिक व्यवस्था के माध्यम से संबंधित लोग।

21. **विदेशी बंदी** से तात्पर्य ऐसे किसी भी बंदी से है जो भारत का नागरिक नहीं है।

22. **फरलो** का अर्थ है, सजा की निर्धारित अवधि पूरी करने के बाद किसी अपराधी को कारा में अच्छा आचरण बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन के रूप में दिया जाने वाला लघु अवकाश ।

23. **सम्यक व्यवस्था** का अर्थ है और इसमें सम्मिलित है नियमों और विनियमों के एक सेट का अनुप्रयोग जो बंदियों के दैनिक जीवन को उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के डर के बिना स्थापित दिनचर्या के माध्यम से नियंत्रित करता है।

24. **सरकार** का अर्थ झारखंड सरकार से है।

25. **कारा एवं सुधारात्मक सेवाओं के महानिरीक्षक** से तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा इस पद पर पदांकित अधिकारी से है।

26. **निरीक्षणालय** से तात्पर्य झारखंड राज्य के कारा निरीक्षणालय से है।

27. **आदतन अपराधी** का अर्थ है और इसमें सम्मिलित है हिंसा, पलायन, आत्म-क्षति, अव्यवस्थित व्यवहार करने की उच्च प्रवृत्ति वाला बंदी , तथा कारा में अशांति और सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा पैदा करने की संभावना रखता है। इसमें आत्महत्या की प्रवृत्ति से पीड़ित व्यक्ति, तथा मादक द्रव्यों से संबंधित और नशे की लत से पीड़ित व्यक्ति भी सम्मिलित हैं, जो बीच-बीच में हिंसक व्यवहार करते हैं ।

28. **इतिवृति पत्रक से** तात्पर्य ऐसे पत्रक से है जिसमें कारा एवं सुधारात्मक सेवा अधिनियम या उसके अंतर्गत नियमों के अंतर्गत प्रत्येक बंदी के संबंध में अपेक्षित संपूर्ण सुचनाये संकलित हो ।

29. **मानवाधिकार का** अर्थ है और इसमें सम्मिलित है किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार।

30. **चिकित्सा अधिकारी का** तात्पर्य किसी कारा के चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त या प्रतिनियुक्त एक योग्य सरकारी चिकित्सक से है।

31. **चिकित्सा अधीनस्थ** का अर्थ है एक योग्य चिकित्सा सहायक जैसे फार्मासिस्ट, नर्स, प्रयोगशाला सहायक, एक्स-रे तकनीशियन आदि जिसे कारा में नियुक्त या प्रतिनियुक्त किया गया हो।

32. **बंदी** का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो कारा नियमों के अंतर्गत किसी संस्था में वैध रूप से अभिरक्षित रखा गया हो।

33. **मजिस्ट्रेट का** तात्पर्य भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट की सभी या किसी भी शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति से है ।

34. **अपराध** इसका अर्थ है और इसमें सम्मिलित है कोई भी कार्य ,कृत्य या अकृत्य जो वर्तमान में प्रवर्तमान विधि द्वारा दंडनीय हो।

35. **अपराधी** से तात्पर्य ऐसे किसी भी व्यक्ति से है जिस पर अपराध करने में कथित रूप से संलिप्त होने का आरोप है।

36. **कारा के प्रभारी अधिकारी का** तात्पर्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा कारागार के प्रभारी के रूप में नियुक्त अधिकारी अर्थात अधीक्षक से है।

37. **उन्मुक्त सुधारात्मक संस्थान** का अर्थ है, पात्राता युक्त बंदियों को, कारामुक्ति के बाद उनके पुनर्वास की सुविधा के लिए, कारा से बाहर जाने की स्वतंत्रता देकर, न्युनतम प्रतिबंधात्मक युक्त संरचना के अंतर्गत संसीमित रखने के लिए एक परिसर ।

38. **प्रक्रियात्मक सुरक्षा** का अर्थ है और इसमें सम्मिलित है कारा अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले सुरक्षा कार्यों से संबंधित प्रभावी प्रणाली और प्रक्रियाएं जैसे बलों का परिनियोजन, ड्यूटी रोस्टर, अभिगम नियंत्रण, जोखिम मूल्यांकन, बंदियों का वर्गीकरण, आवासन आवंटन, गिनती, तलाशी, निगरानी, संवाद आदि।

39. **पैनोप्टिकॉन** का अर्थ और इसमें सम्मिलित है कारा का एक वास्तुशिल्प रचना जिसमें इसके केंद्र पर अवस्थित एक टॉवर के किसी से बिंदु से परिसर की परिधि पर अवस्थित अर्धवृताकार भवन संरचना के सभी आंतरिक भाग दृष्टि गोचर होते हैं।

40. **पैरोल** का अर्थ है किसी बंदी को उसकी सजा की समाप्ति से पहले पर्याप्त कारण और उद्देश्य के आधार पर निर्दिस्ट अवधि के लिये सशर्त कारा मुक्त करना।

41. **व्यक्तिगत संपत्ति** का अर्थ है और इसमें सम्मिलित है बंदियों की संपत्तियां.

42. **भौतिक सुरक्षा** का अर्थ है भौतिक भवन से संबंधित सुरक्षा, अवरोध और उन पर प्रस्थापित इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल प्रौद्योगिकी उपकरण, जो कारा पलायन से रोकने के लिए सुरक्षा को परिपूर्ण करते हैं ।

43. **पॉडुलर** का अर्थ है और इसमें अभिरक्षित संरचना के लिए रूप-रेखा अवधारणा सम्मिलित है जिसमें आवास कक्ष और प्रकोष्ठ एक आवासीय इकाई का निर्माण करने वाले परिसर की परिधि के अंतर्गत स्थित होते हैं ।

44. **कारा का** अर्थ है और इसमें सम्मिलित है किसी राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेशों के अंतर्गत बंदियों को निरुद्ध रखने के लिए स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से उपयोग किया जाने वाला कोई स्थान, और इसमें उससे अनुलग्न सभी भूमि और भवन सम्मिलित हैं, लेकिन इसमें निम्न संरचना सम्मिलित नहीं हैं:

(a) ऐसे बंदियों को रखने का कोई स्थान जो केवल पुलिस की अभिरक्षा में हों,
(b) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 457 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से नियुक्त कोई स्थान ।

45. **कारा अधिकारी का** तात्पर्य इस अधिनियम के अनुसार कारा के प्रशासन और प्रबंधन के लिए कारा और सुधारात्मक सेवाओं में नियुक्त अधिकारी से है।

46. **कारा कर्मचारी या अधीनस्थ अधिकारी का** तात्पर्य इस अधिनियम के अनुसार कारा के प्रशासन और प्रबंधन में कारा अधिकारियों की सहायता के लिए निरीक्षणालय द्वारा नियुक्त कर्मचारी से है।

47. **बंदी** का तात्पर्य किसी न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी के रिट, वारंट, आदेश या सजा के अंतर्गत कारा में अभिरक्षा में सौंपे गए किसी भी व्यक्ति से है और इसमें दोषसिद्ध बंदी, सिविल बंदी, विचाराधीन बंदी, सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अंतर्गत अदालत द्वारा कारा अभिरक्षा में भेजे गए बंदी और बंदी सम्मिलित हैं ।

48. **विशेष आवश्यकता वाले बंदियों से** तात्पर्य कारा में अतिसंवेदनशील बंदियों से है और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

(i) मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता वाले बंदी;
(ii) विकलांग बंदी;
(iii) जातीय और नस्लीय अल्पसंख्यक और स्वदेशी लोग;
(iv) विदेशी राष्ट्रीय बंदी;
(v) ट्रांसजेंडर बंदी;
(vi) वृद्ध बंदी;
(vii) असाध्य बीमारी से ग्रस्त बंदी और
(viii) मृत्युदंड की सजा प्राप्त बंदी।

49. **प्रतिबन्धित वस्तु** से तात्पर्य ऐसी वस्तु से है जिसकी कारा में प्रविष्टी या कारा से निकासी इस अधिनियम के अधीन किसी नियम द्वारा प्रतिषिद्ध है।

50. **लोक सुरक्षा** का अर्थ है ऐसी घटनाओं की रोकथाम और उनसे सुरक्षा करना जो जनता की सुरक्षा को महत्वपूर्ण संकट, शारीरिक आघात या संपत्ति की क्षति से संकट में डाल सकती हैं।

51. **कट्टरपंथी अपराधी** का अर्थ है और इसमें सम्मिलित हैं वैचारिक रूप से प्रेरित अपराधी, जो वैचारिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसक कृत्य करता है, करने की आकांक्षा रखता है, या करने का षड़यंत्र करता है, या उसे प्रोत्साहित करता है।

52. **अपराध पुनरावृति** का अर्थ है किसी व्यक्ति का आपराधिक व्यवहार में प्रत्यावर्तन होना। इसे उन आपराधिक कृत्यों से मापा जाता है जिसके परिणामस्वरूप कारा से मुक्त होने के बाद तीन साल की अवधि (36 महीने) के अंतर्गत नई सजा के साथ या बिना किसी सजा के कारा में वापस जाना पड़ता है।

53. **जोखिम** का अर्थ है और इसमें सम्मिलित है क्षति, आघात, हानि या किसी अन्य नकारात्मक घटना की संभावना या संकट जो बाह्य या आंतरिक अरक्षितता के कारण होता है।

54. **जोखिम आकलन** का अर्थ है, अनुमानित गतिविधि में सम्मिलित संभावित जोखिमों के मूल्यांकन की एक व्यवस्थित प्रक्रिया।

55. **परिहार पद्धति से** तात्पर्य इस अधिनियम में बंदियों की सजा को कम करने के विनियमन के लिए बनाए गए नियमों से है ।

56. **प्रजनन अधिकार का** तात्पर्य महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य और प्रजनन संबंधी विकल्प से संबंधित अधिकारों से है।

57. **नियम का तात्पर्य** इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियम से है

58. **बंदी पृथक्करण** का अर्थ है लिंग, आयु, मुकदमे, अपराध की गंभीरता और सुरक्षा खतरों के आधार पर बंदियों को पृथक करना ।

59. **अधीक्षक** का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी कारागार का प्रभारी नियुक्त किया जाता है तथा जिसका पदनाम वह विनिर्दिष्ट कर सकता है।

60. **परलैंगिक** का अर्थ है और इसमें ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 2 के खंड (के) में निर्दिष्ट अर्थ वाला व्यक्ति सम्मिलित है।

61. **अनधिकृत संवाद** का अर्थ है और इसमें सम्मिलित है इस अधिनियम के अंतर्गत नियमों द्वारा अनधिकृत या अस्वीकृत संवाद।

62. **विचाराधीन बंदी** का अर्थ है कोई भी बंदी इसमें सम्मिलित है जिसका दोष सिध्द न हुआ हो और जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुसंधान या विचारण लंबित रहने तक न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया हो।

63. **अधिपत्र** का अर्थ किसी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया रिट या आदेश है जो किसी अधिकारी को अभिरक्षित करने, अभिग्रहण करने, तलाशी लेने या न्यायिक सजा देने का अधिकार देता है।

64. **उपार्पण अधिपत्र** का अर्थ है मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा लिखित आदेश, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को सक्षम न्यायालय द्वारा विचारण के लिए प्रेषित किया जाता है।

65. **तरुण अपराधी से** तात्पर्य ऐसे किसी भी बंदी से है जिसकी आयु 18 वर्ष हो गई है, परंतु 21 वर्ष से कम है।

अध्याय II

3. कारा और सुधारात्मक संस्थान के कार्य

कारा के कार्य निम्नानुसार होंगे:

(i) किसी रिट, वारंट या किसी न्यायालय या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अंतर्गत उपार्पित बंदी को सुरक्षित एवं संरक्षित अभिरक्षा में रखकर सामान्य जन को सुरक्षित करना;

(ii) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार सम्यक व्यवस्था और नियंत्रण बनाए रखते हुए बंदियों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए उचित उपबँध करना :

(iii) बंदियों के मानवाधिकारों को संरक्षित रखने हेतु नियमों के अनुसार पर्याप्त आवास, भोजन, जलवायु/मौसम/ऋतुओं के अनुकूल कपड़े और बिस्तर, स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल तथा अन्य आवश्यकताएं प्रदान करना :

(iv) बंदियों की कारा संसीमन अवधि के अंतर्गत सुधार और पुनर्वास के लिए उद्देश्यपूर्ण गतिविधियों द्वारा हस्तक्षेप करना, ताकि उन्हें पुनः अपराध करने और अपराध की पुनरावृत्ति से रोका जा सके, तथा कारामुक्ति केपश्चात समाज में पुनर्प्रविश के पश्चात उन्हें विधि का पालन करने वाला नागरिकहोने और स्वावलंबी जीवन व्यतीत करते हुए समाज में एकीकृत होने में सक्षम बनाया जा सके।

अध्याय III

कारा की स्थापत्य वास्तुकला और वर्गीकरण

4. बंदियों के लिए आवास

1. बंदियों की पृथक, वर्गीकृत, सुरक्षित और संरक्षित अभिरक्षा के साथ परिनियोजित पर्यविक्षण तथा उद्देश्यपूर्ण गतिविधियों में उनकी सहभागिता के संबंध में इस अधिनियम की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए सरकार कारा में इस तरह से निर्मित और विनियमित पर्याप्त आवास उपलब्ध कराएगी । सुरक्षा कार्य से संबंधित भौतिक संरचना को नवीनतम उपलब्ध प्रौद्योगिकी के अधिष्ठापन से सुदृढ़ किया जाएगा । उदाहरण के लिए, बंदी प्रविष्टी, तलाशी, निगरानी और संवाद से संबंधित सुरक्षा कार्य को कारा सॉफ्टवेयर, स्कैनर, एआई एनालिटिक्स और इंटरनेट नेटवर्क के साथ वीडियो निगरानी के अधिष्ठापन से सुदृढ़ किया जाएगा
2. सरकार उच्च सुरक्षा बंदियों को अभिरक्षित रखने के लिए प्रौद्योगिकी अधिष्ठापन और आधारभूत संगठनात्मक संरचना से युक्त एक उच्च सुरक्षा कारा चिह्नित कर सकती है या राज्य में किसी भी केंद्रीय कारा में एक उच्च सुरक्षा परिमिति को चिह्नित कर सकती है। इस संरचना के अंतर्गत न्यायालय के कार्य हेतु भवन-समूह का एक संरचनात्मक परिसर अवस्थित होगा ताकि बिना किसी प्रकार के सुरक्षा अनिवर्यता/ बाध्यता जन्य बाह्य गतिविधियो के सुरक्षात्मक बंदियों का न्यायालय में भौतिक उपस्थापन सम्पन्न हो सके ।
3. सरकार महिला बंदियों के लिए एक पृथक महिला कारा भी स्थापित करेगी जिसका प्रशासन और सुरक्षा महिला अधिकारियों और सुरक्षा बल द्वारा की जाएगी।
4. सरकार पुरुष और महिला कारा भवन परिसर , प्रत्येक के लिए एक पृथक अस्पताल भी चिह्नित कर सकती है।

5. सरकार बंदियों के कारा संसीमन अवधि के अंतर्गत सुधारात्मक हस्तक्षेप के लिए उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रम के अंतर्गत शैक्षनिक कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कारा कार्यशाला हेतु बंदियो को आवंटित जैसे क्रियाकलापों के आरंभ, निरन्तर रखने और संचालन के लिए कारा परिसर के अंदर ऐसे पृथक भवन और संरचनात्मक इकाइयां भी चिह्नित कर सकती है।

5. कारा स्थापत्य वास्तुकला और संस्थागत स्वरूप

1. कारा भवन संरचना और परिसर का निर्माण सिविल इंजीनियरिंग, विद्दयुत इंजीनियरिंग, अग्नि सुरक्षा, एचवीएसी, स्वास्थ्य, भौतिक सुरक्षा के साथ-साथ देश में प्रचलित साइबर आवश्यकता और सुरक्षा मानदंडों से संबंधित मानक विनिर्देशों के अनुसार किया जाएगा जो नियमों के अंतर्गत निर्धारित मानकों और विनिर्देशों के अनुरूप होगा।

2. कारा का स्थापत्य पैनऑप्टिकल या पॉडुलर या सरकार द्वारा तय मानकों और विशिष्टताओं के साथ ऐसी वास्तुशिल्प रचना हो सकती है और इसमें समावेश हो सकता है

    1. सरकार द्वारा तय मानक और विनिर्देशों के अनुरूप एक सुरक्षित परिधि दीवार, एकल द्वार प्रवेश और निकास, तथा निगरानी वॉच टावर बनाई जाएंगी , ताकि महिला बंदियों के लिए पृथक परिसर और कक्ष, प्रशासनिक पृथक बंदियों, सजायाफ्ता दोषियों, अभ्यस्त बंदियों, विचाराधीन बंदियों, युवा अपराधियों, सिविल बंदियों और विशेष आवश्यकता वाले बंदियों के लिए पृथक परिसर और कक्ष बनाए जा सकें।
    2. रसोईघर, भोजन कक्ष, भंडारण, खाना पकाने और आहार सामग्री वितरित करने के लिए कारा गोदाम।
    3. स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल के लिए अस्पताल
    4. जल निकासी के साथ जल आपूर्ति स्थापना
    5. शौचालय और सीवर उपचार स्थापना
    6. बंदियों की उद्देश्यपूर्ण भागीदारी के लिए स्कूल और कार्यशाला
    7. मनोरंजन कक्ष और व्यायाम एवं खेल का मैदान
    8. प्रशासनिक और आवास इकाइयाँ
    9. नियमों के अंतर्गत निर्धारित कोई अन्य संरचना या सरकार किसी चुनौती से निपटने के लिए जैसा आवश्यक समझे।

6. कारा का वर्गीकरण

सरकार विभिन्न श्रेणियों के कारा और सुधारात्मक संस्थान स्थापित कर सकती है और इस अधिनियम के नियमों के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों के अनुसार ऐसे काराओं को वर्गीकृत कर सकती है, जैसे

1. अपराधियों की सजा की अवधि के संबंध में कारा की श्रेणी
    a. केंद्रीय कारा
    b. मंडल कारा
    c. उप कारा , अथवा

2. कारा का सुरक्षा वर्गीकरण
    a. अधिकतम सुरक्षा कारा
    b. मध्यम सुरक्षा कारा

c. न्यूनतम सुरक्षा कारा
d. खुली जेलें

7. बंदियों के लिए अस्थायी आवास

1. यदि बड़ी संख्या में बंदियों को एक कारा से दूसरी कारा में या किसी उपयुक्त अस्थायी संरचना में स्थानांतरित करना आवश्यक और आसन्न हो जाता है , तो सरकार ऐसी संरचना को निश्चित अवधि के लिए अस्थायी कारा के रूप में नामित कर सकती है, जब तक कि अनिवार्यता समाप्त न हो जाए।
2. जब भी सरकार को लगता है कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को अस्तित्वगत या अन्य सुरक्षा बाध्यता के कारण एक निश्चित अवधि के लिए पृथक सुविधा में रखना आवश्यक होगा, तो वह कारा की सभी समुचित संगठनात्मक और सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ किसी भी संरचना को एक निश्चित अवधि के लिए कारा घोषित कर देगी, जिसे ऐसी आपात स्थिति बनी रहने पर बढ़ाया जा सकता है।

अध्याय IV

संगठनात्मक संरचना

8. कारा और सुधारात्मक सेवाएं निरीक्षणालय

1. राज्य सरकार द्वारा कारा से संबंधित नीतियो को कार्यान्वित करने के दायित्व हेतु राज्य में एक कारा और सुधारात्मक सेवा निरीक्षणालय होगा तथा निरीक्षणालय विभिन्न कारा और सुधारात्मक संस्थान और उनसे संबंधित एवं अनुषांगिक विषय के लिये योजना, व्यवस्था, समन्वय और नियंत्रण का कार्य करेगी।
2. इस निरीक्षणालय के अंतर्गत समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित संख्या में पदाधिकारी और कर्मचारी नियोजित होंगे।
3. कारा में संसीमित बंदियों के लिये आवासीय व्यवस्था, बंदी जनसंख्या, तथा कारा पदाधिकारीयों और कर्मचारीयों के कार्यभार की आवश्यकता एवं अपेक्षा के अनुसार ही कारा संस्थागत व्यवस्था निश्चित होगी। नियमो के अनुसार ही कारा कार्यबल के अंतर्गत कार्यपालक पदाधिकारी, अनुसचिवीय कर्मचारी, सुरक्षा बल, सुधारात्मक कर्मचारी चिकित्सा कर्मी इत्यादि निर्धारित किये जायेंगे।

9. कारा एवं सुधारात्मक सेवाओं के महानिरीक्षक

1. कारा एवं सुधारात्मक सेवाओं के प्रशासन के लिए सरकार अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन कारा एवं सुधारात्मक सेवाओं के प्रमुख (उचित पद के, जैसा सरकार उचित समझे) की नियुक्ति करेगी।

2. कारा एवं सुधारात्मक सेवाओं के प्रमुख को कारा एवं सुधारात्मक सेवाओं का महानिरीक्षक कहा जा सकेगा, वह इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करेगा और कर्तव्यों का पालन करेगा तथा कारा के अन्य अधिकारी और कर्मचारी कारा एवं सुधारात्मक सेवाओं के प्रमुख के सामान्य पर्यवेक्षण, नियंत्रण और निर्देशन के अधीन कार्य करेंगे।

3. निरीक्षणालय का नेतृत्व महानिरीक्षक करेंगे, जिनका राज्य के सभी कारा अधिकारियों और कारा कर्मचारियों पर प्रशासनिक, अनुशासनात्मक और वित्तीय नियंत्रण होगा। उन्हें ऐसी शक्तियाँ और कार्य भी सौंपे जाएँगे, जिन्हें राज्य सरकार उचित समझे। महानिरीक्षक को कारा सेवाओं या सचिवालय सेवाओं के ऐसे अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती है, जिन्हें राज्य सरकार उचित समझे।

10. कारा एवं सुधारात्मक सेवाओं के अपर महानिरीक्षक

महानिरीक्षक, कारा एवं सुधारात्मक सेवा की सहायता के लिए एक अपर महानिरीक्षक, कारा एवं सुधारात्मक सेवा, उप महानिरीक्षक, कारा एवं सुधारात्मक सेवा, को नियुक्त किया जाएगा, जिनका चयन पदोन्नति के माध्यम से वरिष्ठ केन्द्रीय कारा अधीक्षक में से किया जाएगा।

11. कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं के उप महानिरीक्षक

कारा के दो उप महानिरीक्षक होंगे, जिनमें से एक को प्रशासन का काम सौंपा जाएगा जबकि दूसरे को सुधार और पुनर्वास का। उनकी भूमिकाएं, दायित्व और कर्तव्य महानिरीक्षक द्वारा परिभाषित किया जाएगा ।

12. राज्य कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं अकादमी के निदेशक

राज्य कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं अकादमी का एक निदेशक होगा, जिसका चयन पदोन्नति के माध्यम से वरिष्ठ केन्द्रीय कारा अधीक्षकों में से किया जाएगा, जो महानिरीक्षक, कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं के निर्देशानुसार कारा अधिकारियों एवं सुरक्षा कर्मचारियों के सभी पदानुक्रमिक स्तरों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

13. नियुक्ति और प्रशिक्षण

1. कारा के अधिकारियों और कर्मचारियों की योग्यताएं, भर्ती, नियुक्ति और प्रशिक्षण ऐसे होंगे जैसा नियमों के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा।
2. अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और अन्य लाभ आधुनिक कारा और सुधारात्मक प्रणाली में किए गए कार्य के अनुरूप हो सकते हैं जैसा कि नियमों के अंतर्गत निर्धारित किया जा सकता है ।
3. कारा में प्रत्येक कारा अधिकारी और कर्मचारी को मौलिक प्रशिक्षण और समय-समय पर सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि वे अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक और पेशेवर प्रकार से निर्वहन कर सकें।

14. कारा के अन्य अधिकारी

1. राज्य में प्रत्येक कारा के लिए एक अधीक्षक, चिकित्सा अधिकारी, कारापाल, सहायक कारापाल, चिकित्सा अधीनस्थ, कंप्यूटर वृत्तिक, मुख्य कक्षपाल और कक्षपाल तथा ऐसे अन्य कर्मचारी होंगे, जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक समझे।

2. किसी कारा का सामान्य प्रशासनिक नियंत्रण और प्रबंधन उस कारा के प्रभारी अधिकारी या अधीक्षक में निहित होगा, जो इन नियमों में निर्धारित अनुसार सभी अधीनस्थ अधिकारियों को कर्तव्य और कार्य आवंटित करेगा।

3. कारा अधिकारियों सहित अधीनस्थ अधिकारियों की भर्ती, नियुक्ति की जाएगी और उन्हें नियमों के अंतर्गत उल्लिखित मौलिक और साथ ही उच्च श्रेणी और आवधिक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि कार्य दक्षता और व्यावसायिकता विकसित की जा सके। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में कारा प्रबंधन, संगठनात्मक व्यवहार , संज्ञानात्मक व्यवहार , अपराध विज्ञान और दंडशास्त्र, नेतृत्व, कार्यान्वयन और संवाद संप्रेषण सम्मिलित होंगे।

अध्याय V

कारा अधिकारियों के कर्तव्य

15. अधीक्षक के कार्य और कर्तव्य

1. इस अधिनियम और उसके अधीन नियमों के प्रावधानों या महानिरीक्षक, कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, अधीक्षक अनुशासन, नियंत्रण, दंड, श्रम , व्यय और सुधार से संबंधित सभी विषयों में कारा का प्रबंधन करेगा।

2. राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऐसे सामान्य या विशेष निर्देशों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय कारा से भिन्न किसी कारा का अधीक्षक जिला दण्डाधिकारी द्वारा कारा के संबंध में दिए गए ऐसे सभी आदेशों का पालन करेगा जो इस अधिनियम या इसके अधीन किसी नियम से असंगत न हों, तथा ऐसे सभी आदेशों तथा उन पर की गई कार्रवाई महानिरीक्षक, कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं को प्रतिवेदित करेगा।

3. अधीक्षक के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं:

   a. कारा में संसीमित अपराधियों के पलायन अथवा पलायन के किसी भी प्रयास के विरुद्ध कारा को सुरक्षित करना।
   b. बंदियों को कारा नियमों के अनुपालन के साथ न्युनतम प्रतिबंधात्मक आवास में सुरक्षित अभिरक्षा के साथ रखना।
   c. कारामुक्त बंदियों द्वारा पुनः अपराध करने और पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति को कम करने के लिए कारा संसीमन अवधि के अंतर्गत बंदियों को सुधारात्मक हस्तक्षेप प्रदान करना।

16. कारापाल के कर्तव्य

1. कारापाल, कारा अधीक्षक के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन, कारा का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा ।

2. वह सभी बंदियों, चाहे वे प्रतिप्रेषित हों या सजा प्राप्त, सभी उपार्पण अधिपत्र और मध्यवर्ती अभिरक्षा अधिपत्र, सभी अभिलेखो, विवरणियां (रिटर्न) और पंजियों (रजिस्टरों) सभी संयंत्रों, औजारों और उपकरणों, सभी आहार और अन्य संरक्षित वस्तुओं, सभी नकदी और भंडार,

सभी कच्चे माल, निर्मित वस्तुओं और निर्माणाधीन सामग्री या उससे संबंधित किसी भी विषय का संरक्षक होगा।

3. उनका मुख्य कर्तव्य नियमों में निर्धारित अनुशासन के अनुरूप सुरक्षा आकलन के संगत वर्गीकरण के अनुरूप बंदियों की सुरक्षित और संरक्षित अभिरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, श्रम और मानव अधिकार प्रबंधन और कारा में सुरक्षा बलों का परिनियोजन करना है।

4. कारापाल कारा परिसर अवस्थित निर्दिष्ट भवन में ही रहेगा, जब तक कि अधीक्षक उसे अन्यत्र रहने की लिखित अनुमति न दे।

5. कारापाल, महानिरीक्षक, कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं की लिखित अनुमति के बिना, किसी अन्य रोजगार में संलग्न नहीं होगा।

17. चिकित्सा अधिकारी के कर्तव्य

चिकित्सा अधिकारी को निर्धारित नियमों के अंतर्गत बंदियों और कारा अधिकारियों के समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन के साथ-साथ में संक्रामक, संचारी और अधिसूचित बीमारियों, जिनमें महामारी भी सम्मिलित है, के लिए उपचार और निवारक उपायों का प्रबंधन सौंपा जाएगा।

18. अन्य कारा अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्य

सुरक्षा और चिकित्सा कर्मियों सहित अन्य सभी कारा कर्मचारी नियमों के अंतर्गत निर्धारित संबंधित श्रेणियों के लिए परिभाषित और सौंपे गए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

19. अधीक्षक या चिकित्सा अधिकारी का अस्थायी रिक्ति या अनुपस्थिति

अधीक्षक या चिकित्सा अधिकारी की सभी या किन्हीं शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग ऐसे अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा जिसे सक्षम प्राधिकारी या कारा महानिरीक्षक नाम या आधिकारिक पदनाम द्वारा निर्धारित करें।

20. अधिकारियों को बंदियों के साथ कोई व्यापारिक लेन-देन नहीं करना चाहिए

किसी कारा का कोई भी अधिकारी अथवा उसके के लिए विश्वास में कोई किसी व्यक्ति अथवा उसके द्वारा नियोजित कोई व्यक्ति , किसी बंदी को कोई वस्तु न तो बेचेगा, न ही किराये पर देगा, या न ही बेचने या किराये पर देने से कोई लाभ प्राप्त करेगा, अथवा न ही किसी बंदी के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई धन या अन्य व्यापारिक लेन-देन करेगा।

21. अधिकारियों को कारा अनुबंधों में रुचि नहीं लेनी चाहिए

किसी कारा का कोई अधिकारी, या उसके द्वारा नियुक्त या उसके के लिए विश्वास में कोई किसी व्यक्ति का, कारा की आपूर्ति के लिए किसी संविदा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हित नहीं होगा; न ही वह कारा की ओर से या किसी बंदी से संबंधित किसी वस्तु के क्रय या विक्रय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लाभ प्राप्त करेगा।

22. कारा में संधारित किये जाने वाले अभिलेख और रजिस्टर

अधीक्षक कारा प्रशासन के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को कर्तव्य सौंपे जाने के संबंध में निर्देश निर्गत करने के लिए एक मिनट बुक रखेगा तथा निम्नलिखित रिकॉर्ड रखवाएगा और बनाए रखेगा

1. सिद्धदोष बंदियों के लिए एक प्रवेशपंजी
2. विचाराधीन बंदियों के लिए एक प्रवेशपंजी
3. एक पंजी जिसमें बताया गया हो कि प्रत्येक बंदी को कब कारामुक्त किया जाना है
4. लॉकअप पंजी
5. गेट रजिस्टर ऑफ पर्सन्स
6. गेट रजिस्टर ऑफ आर्टिकल्स
7. रोकड़ बही
8. प्रावधानों के लिए स्टॉक बुक
9. कारा अपराधों के लिए बंदियों को दी जाने वाली सज़ा की प्रविष्टि के लिए एक दंड पुस्तिका
10. परिदर्शकों द्वारा कारा के प्रशासन से संबंधित किसी भी मामले पर की गई टिप्पणियों को प्रविष्ट करने के लिए एक परिदर्शक पुस्तिका
11. आयुध संधारण पंजी
12. बंदियों के इतिवृति पत्रक
13. बंदियों से प्राप्त किये गए धन और अन्य वस्तुओं का रिकार्ड
14. नियमों द्वारा निर्धारित कोई अन्य पंजी ।

23. कारा अधीनस्थों द्वारा अपराध

1. अधीनस्थ अधिकारियों सहित कारा अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक उल्लंघन कृत्यऔर अकृत्य के परिणामस्वरूप बंदी पलायन, कारा हिंसा और अन्य प्रशासनिक या वित्तीय अनियमितता के लिए अधिनियम के अंतर्गत नियमों के अनुसार विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

    1. प्रत्येक कारापाल या उसके अधीनस्थ कारा-अधिकारी, जो अपने कर्तव्य का उल्लंघन करने या सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए किसी नियम, विनियमन या वैध आदेश का विचारपूर्वक उल्लंघन करने या उपेक्षा करने का दोषी होगा या जो बिना अनुमति के या अपने आशय की लिखित पूर्व सूचना दिए बिना दो मास की अवधि के लिए अपने पद के कर्तव्यों से प्रत्याहृत करेगा या जो विचारपूर्वक उसे दिया गया अवकाश से अधिक समय तक रुकेगा या जो बिना प्राधिकार के अपने कारा कर्तव्य के अतिरिक्त किसी अन्य रोजगार में लगेगा या जो कायरता का दोषी होगा, दण्डाधिकारी के समक्ष दोषसिद्धि पर अर्थदंड जो पांच हज़ार रुपए से अधिक नहीं हो या कारावास जो छह मास से अधिक की अवधि का नहीं हो या दोनों से दण्डनीय होगा। जुर्माना न भुगतान की स्थिति में एक मास के साधारण कारावास से दण्डित किया जाएगा।

2. इस धारा के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जाएगा।

24. कर्मचारी कल्याण

महानिरीक्षक, कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं, कारा अधिकारियों के लिए कल्याणकारी उपायों के कार्यान्वयन में सरकार को सहायता और सलाह देने के लिए एक कर्मचारी कल्याण कोषांग की स्थापना कर सकते हैं।

अध्याय VI

कारा का डिजिटल रूपांतरण

25. कारा अधिकारियों, कारा प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकी का डिजिटल रूपांतरण

1. राज्य द्वारा, मानक विनिर्देशों या इस के अतिरिक्त किसी भी आनुषंगिक विषय के साथ कारा प्रबंधन को उसके सभी शाखाओं, अर्थात्, जन, प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, जिसमें प्रशासन, अभिरक्षा, सुरक्षा और सुधार को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक और अद्यतन संस्करण हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डिजिटल प्लेटफॉर्म, नेटवर्क और साइबर सुरक्षा के अधिष्ठापन का प्रयास करना चाहिए।
2. डिजिटल कौशल-सेट, कारा प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण, क्लाउड स्टोरेज, बिग डेटा एनालिटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लागू किया जाना चाहिए।
3. सुरक्षा प्रौद्योगिकी द्वारा कारा सुरक्षा प्रक्रियाओं को भौतिक रूप के साथ डिजिटल रूप से भी अनुपूरण कार्यान्वित करते सुदृढ़ करना चाहिए।
4. कारा और सुधारात्मक संस्थानों के डिजिटल रूपांतरण को आपराधिक न्याय प्रणाली के डिजिटल रूपांतरण के अंतर्गत एकीकृत किया जाना चाहिए।

अध्याय VII

बंदियों का प्रवेश और मुक्ति

26. बंदियों का प्रवेश

1. किसी कारा का भारसाधक अधिकारी, किसी रिट, अधिपत्र (वारंट) या आदेश की आवश्यकता के अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के अधीन या अन्यथा किसी न्यायालय या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसकी अभिरक्षा में विधिवत् रूप से सुपुर्द किया गया हो, प्राप्त करेगा और तब तक निरुद्ध रखेगा, जब तक कि ऐसे व्यक्ति को विधि के सम्यक् अनुक्रम में उन्मोचित या निष्कासित नहीं किया जाता है।

2. किसी कारा का प्रभारी अधिकारी किसी व्यक्ति के निरुद्धि के लिए किसी न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी कानून के प्रावधानों के अंतर्गत पारित या जारी किए गए किसी दंडादेश या आदेश या अधिपत्र (वारंट) को कार्यान्वित करेगा।

3. यदि किसी कारा के प्रभारी अधिकारी को उसके पास क्रियान्वयन के लिए भेजे गए अधिपत्र (वारंट) की वैधता पर संदेह हो, तो उसे उक्त विषय की सूचना संबंधित न्यायालय या प्राधिकारी को देनी होगी।

4. उपधारा (4) के अधीन किए गए संदर्भ तक, बंदी को ऐसी प्रणाली से तथा ऐसे प्रतिबंधों या रियायतों के साथ निरुद्ध रखा जाएगा, जैसा कि अधिपत्र (वारंट) या आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए।

5. किसी भी ऐसे व्यक्ति को बिना विधिपूर्ण अधिपत्र (वारंट) प्रस्तुत करने पर या बिना न्यायालय या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा कारा के भारसाधक अधिकारी को सम्बोधित उपार्पण के किसी आदेश के अधीन निरूद्धि के लिए कारा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

6. कारा का प्रभारी अधिकारी ऐसे रिट, अधिपत्र (वारंट) या आदेश के निष्पादन के पश्चात् या उसके द्वारा सुपुर्द व्यक्ति को मुक्ति करने के पश्चात् उसे उस न्यायालय को, जिसने उसे निर्गत किया था, सम्यक हस्ताक्षरित सहित वापस कर देगा, जिसमें यह अंकित किया जाएगा कि उसे किस प्रकार निष्पादित किया गया है या उसके निष्पादन से पूर्व उस व्यक्ति को अभिरक्षा से क्यों उन्मोचित किया गया है।

27. प्रवेश के समय बंदियों की प्रविष्टियां, तलाशी और चिकित्सिय जाँच (मेडिकल स्क्रीनिंग)

कारा में प्रविष्ट होने पर प्रत्येक बंदी

1. नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपार्पण अधिपत्र (वारंट) में अंकित उसका विवरण प्रवेश पंजी में दर्ज होगा।

2. समान लिंग के कारा अधिकारी द्वारा उसकी गहन तलाशी ली जाएगी तथा इस अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित वस्तु के रूप में अधिसूचित प्रत्येक वस्तु को जब्त कर लिया जाएगा, सिवाय नकदी, आभूषण और अन्य मूल्यवान वस्तुओं के, जिन्हें कारापाल द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा तथा संबंधित अभिलेख में प्रलेखित किया जाएगा तथा कारा मुक्ति के समय बंदी को लौटा दिया जाएगा।

3. दंड प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 और किसी अन्य लागू विधि के प्रावधानों के अनुसार भौतिक और बायोमेट्रिक पहचान माप के अधीन किया जाएगा।

4. बंदी की अद्यतन स्वास्थ्य स्थिति के लिए 24 घंटे के भीतर चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सकीय जांच की जाएगी तथा यदि आवश्यक हो तो उपचार भी दिया जाएगा।

5. सुरक्षा वर्गीकरण के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा तथा इस अधिनियम के अंतर्गत नियमों द्वारा निर्धारित सुरक्षित एवं संरक्षित अभिरक्षा तथा पर्यवेक्षण स्तर सुनिश्चित करने के लिए कारा में उपयुक्त स्थान पर संसीमित रखा जाएगा।

28. बंदियों की तलाशी

किसी प्रतिबंधित वस्तु, यदि कोई हो, का पता लगाने के लिए बंदियों और उनके सामान, उनके रहने के स्थान, बैरक, वार्ड या प्रकोष्ठ की औचक या नियमित तलाशी ली जाती है, जिसका पता लगने और जब्ती

के बाद जांच की जाती है और इस अधिनियम के अंतर्गत नियमों में उल्लिखित कारा अपराध कृत्य करने के लिए दंड दिया जाता है।

29. बंदियों के निजी सामान

बंदियों के निजी सामान जिन्हें इस अधिनियम के नियमों के अंतर्गत रखने की अनुमति के लिये निर्धारित किया गया है, उन्हें प्रवेश के समय तलाशी के बाद उनके पास रखने की अनुमति होगी और बाद में उनके परिजनो द्वारा मुलाकात के समय उन्हें उक्त समान प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी। कारा संसीमन अवधि के दौरान उपयोग के लिए बंदियों द्वारा रखे जाने वाले सभी निजी सामान की गहन तलाशी ली जाएगी ताकि अनधिकृत परिग्रह, उपयोग और संवाद, हिंसा और पलायन से कारा को सुरक्षित रखा जा सके।

30. बंदियों का हटाया जाना और उन्मोचन

1. सभी बंदियों की, किसी अन्य कारा में हटाये जाने के पूर्व, नियमों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।
2. किसी भी बंदी को एक कारा से दूसरी कारा में तब तक नहीं हटाया जाएगा जाएगा जब तक कि चिकित्सा अधिकारी यह प्रमाणित न कर दे कि बंदी में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो उसे उन्मोचित किये जाने के लिए अयोग्य बनाती हो।
3. यदि बंदी किसी तीव्र उग्र तथा खतरनाक मनः स्थिति में है हो उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध कारा से तब तक उन्मोचित नहीं किया जायेगा, जब तक चिकित्सा अधिकारी की राय में ऐसा उन्मोचन निरापद न हो ।

31. बंदियों को परिहार का लाभ

1. सजा काट के दौरान दोषी बंदी के समग्र अच्छे आचरण और व्यवहार के लिये , नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रकिया के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिहार स्वीकृत की जा सकती है।
2. परिहार प्रदान करने की अवधि और मानदंड ऐसे होंगे जैसा कि नियमों के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा।

32. आजीवन कारावास सजा प्राप्त बंदियों की असमय कारामुक्ति

आजीवन कारावास की सजा प्राप्त बंदी को उसके पुनर्वास और समाज में पुनः एकीकरण के उद्देश्य से सक्षम प्राधिकारी द्वारा असमय कारामुक्ति की अनुमति दी जा सकती है। नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रकिया के अनुसार उचित मामलों में आजीवन कारावास की सजा प्राप्त बंदी की असमय कारामुक्ति के मामलों पर विचार करने और अनुशंसा करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकार सजा पुनरीक्षण बोर्ड का गठन कर सकती है।

अध्याय VIII

बंदियों का अंतरण

33. राज्य की कारा में बंद बंदियों का अंतरण

1. राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी कारा में

    1. मृत्यु दण्ड की सजा के अंतर्गत, या
    2. कारावास की सजा के अंतर्गत, या
    3. अर्थदंड का भुगतान न करने पर कारावास, या
    4. शांति बनाए रखने या अच्छा आचरण बनाए रखने के लिए प्रतिभूतियां देने में चूक होने पर

    संसीमित किसी बंदी को राज्य के किसी अन्य कारा में स्थानांतरित करने की व्यवस्था कर सकती है ।

2. राज्य सरकार के आदेशों के अधीन तथा उसके नियंत्रण में, महानिरीक्षक, कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं, इसी प्रकार, राज्य के किसी कारा में पूर्वोक्त रूप से परिरुद्ध किसी बंदी को प्रशासनिक पृथक्करण के लिए राज्य के किसी अन्य कारागार में स्थानांतरित करने की व्यवस्था कर सकते हैं ।

3. राज्य सरकार के आदेशों के अधीन तथा उसके नियंत्रण में, किसी व्यक्ति को, जो किसी न्यायालय के किसी रिट, वारंट या आदेश के अधीन जांच, अन्वेषण या विचारण लंबित रहने तक किसी कारा में अभिरक्षा में रखा गया है, महानिरीक्षक, कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं के आदेश द्वारा, विचारण न्यायालय की सहमति से प्रशासनिक पृथक्करण के लिए राज्य के किसी अन्य कारा में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया जा सकता है।

34. किसी बंदी का दूसरे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अंतरण

1. जहां कोई व्यक्ति किसी राज्य में

    1. मृत्यु दण्ड या
    2. कारावास की सजा के अंतर्गत, या
    3. अर्थदंड का भुगतान न करने पर कारावास या
    4. शांति बनाए रखने या अच्छा आचरण बनाए रखने के लिए प्रतिभूतियां देने में चूक होने पर

    के अंतर्गत परिरुद्ध है उस राज्य की सरकार, किसी अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार की पारस्परिक सहमति से, आदेश द्वारा, बंदी को उस कारा से दूसरे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की किसी कारा में स्थानांतरित करने का प्रावधान कर सकती है।

2. उस कारा का भारसाधक अधिकारी, जिसमें कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन भेजा जाता है, उसे प्राप्त करेगा और जहां तक हो सके, उस न्यायालय के किसी रिट, वारंट या आदेश की

आवश्यकता के अनुसार, जिसके द्वारा ऐसे व्यक्ति को सौंपा गया है, या तब तक निरुद्ध रखेगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति को विधि के सम्यक् अनुक्रम में उन्मोचित या मुक्त नहीं जाता।

3. राज्य सरकार के आदेशों के अधीन तथा उसके नियंत्रण में, दूसरे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की आपसी सहमति से, आदेश द्वारा, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो किसी न्यायालय के किसी रिट, वारंट या आदेश के अंतर्गत जांच, अन्वेषण या परीक्षण लंबित रहने तक किसी कारा में अभिरक्षा में है, उस कारा से, विचारण न्यायालय की सहमति से प्रशासनिक पृथक्करण के लिए दूसरे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की किसी कारा में भेजने का प्रावधान कर सकती है।

35. बीमार बंदियों को इलाज के लिए राज्य के अस्पतालों में स्थानांतरित करना

1. राज्य सरकार के आदेशों के अधीन तथा उसके नियंत्रण में, जिला दण्डाधिकारी, इसी प्रकार, किसी कारा में बंद सिद्धदोष बंदी को, चिकित्सा अधिकारी या सिविल सर्जन द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड की अनुशंसा के अनुसार उपचार के लिए जिला अस्पताल या राज्य में किसी उच्चतर सरकारी चिकित्सा केन्द्र में स्थानांतरित करने की व्यवस्था कर सकते हैं । ।
2. बीमार विचाराधीन बंदियों को चिकित्सा अधिकारी या संबंधित विचारण न्यायाल के आदेश पर सिविल सर्जन द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा के अनुसार जिला अस्पताल या उच्च चिकित्सा केंद्र भेजा जाएगा।

36. बीमार बंदी को दूसरे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा में स्थानांतरित करना

1. राज्य सरकार के आदेशों के अधीन तथा उसके नियंत्रण में, महानिरीक्षक, कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं , इसी प्रकार, किसी भी बीमार बंदी (चाहे वह कारा में परिरुद्ध हो अथवा निरंतर उपचार के लिए राज्य स्तरीय अस्पताल में भर्ती हो) को, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित राज्य स्तरीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा उचित सशस्त्र पुलिस सुरक्षा के अंतर्गत किसी अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्थित उच्च चिकित्सा केंद्र में रेफर किया गया हो, भेजने की व्यवस्था कर सकते हैं।
2. किसी बीमार विचाराधीन बंदी को, जिसे राज्य स्तरीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा समुचित उपचार के लिए उच्च चिकित्सा केन्द्र में रेफर किया गया हो, स्थानांतरित करने के लिए महानिरीक्षक, कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं, के आदेश के अतिरिक्त संबंधित विचारण न्यायालय की सहमति से किया जाएगा।

अध्याय IX

विदेशी बंदियों का प्रवेश, स्थानांतरण और प्रत्यावर्तन

37. विदेशी बंदियों का प्रत्यावर्तन

राज्य के किसी कारा में विदेशी बंदी के प्रवेश की सूचना तत्काल महानिरीक्षक, कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं, को भेजी जाएगी तथा विदेश मंत्रालय, भारत सरकार या किसी अन्य एजेंसी को भेजी जाएगी, जिसे नियमों के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

अध्याय X

बंदियों का वर्गीकरण और कारा में उनका आवासन

38. वर्गीकरण समिति की संरचना

जोखिम मूल्यांकन, अभिरक्षा रेटिंग और संस्थागत समायोजन के आधार पर बंदियों के सुरक्षा वर्गीकरण के लिए एक वर्गीकरण समिति गठित की जा सकती है, जिसमें कारा के अधिकारी और अन्य अधिकारी सम्मिलित होंगे, जैसा कि नियमों के अंतर्गत निर्धारित किया जा सकता है।

39. बंदियों का पृथक्करण

बंदियों को लिंग ,प्रकरण की स्थिति, आयु और सुरक्षा जोखिम के अनुसार पृथक-पृथक कक्षो में रखा जाएगा। निम्नलिखित बंदियों को पृथक-पृथक भवनो या एक ही भवन परिसर के पृथक-पृथक खंडो में संसीमित रखा जाएगा

1. सिविल बंदी
2. पुरुष सिध्ददोषी बंदी
3. पुरुष विचाराधीन बंदी (मजिस्ट्रियल न्यायालयों के अंतर्गत आने वाले विचाराधीन बंदियों को सत्र न्यायालयों के अंतर्गत आने वाले विचाराधीन बंदियों से पृथक रखा जाना है)
4. महिला बंदी (महिला सिध्ददोषियों को महिला विचाराधीन बंदियों से पृथक रखा जाएगा)
5. युवा अपराधी
6. विदेशी बंदी
7. विशेष आवश्यकताओं या कमजोरियों वाले बंदी (अनुभाग 2.49 देखें)
8. संक्रामक और संचारी रोगों से पीड़ित बंदी
9. क्वारंटाइन में रखा गया बंदी

40. बंदियों का सुरक्षा वर्गीकरण

1. बंदियों को अधिनियम में निर्धारित नियमों के अनुसार अतिरिक्त वर्गीकृत किया जाएगा जैसे कि उन के जोखिम आकलन में प्रदर्शित अभिरक्षा रेटिंग स्केल और संस्थागत समायोजन । यह आकलन स्थिर जोखिम कारकों के साथ-साथ अपराधजन्य आवश्यकताओं सहित गतिशील जोखिम कारकों और ऐसे कारकों पर आधारित हो सकता है जो सरकार द्वारा तय किए गए । संबंधित अभिरक्षा स्थानन और प्रशासित सुधारात्मक हस्तक्षेपों पर परिनियोजित बलों का पर्यवेक्षण स्तर बंदियों के वर्गीकरण के अनुरूप होगा और नियमों के अंतर्गत निर्धारित यह पृथक्करण बंदियों को वैचारिक मतारोपण से हिंसा की ओर प्रवृत्त कट्टरता से वियुक्त करने के लिए आवश्यक होगा। बंदियों का सुरक्षा वर्गीकरण के अंतर्निहित है--

   1.उच्च या अधिकतम सुरक्षा बंदी
   2.सुरक्षा ख़तरा बंदियों का समूह
   3.प्रशासनिक अलगाव के लिए बंदी
   4.मध्यम सुरक्षा बंदी
   5.न्यूनतम सुरक्षा बंदी

2. एक वर्ष के बाद, जोखिम आकलन के आधार पर बंदियों का पुनर्वर्गीकरण किया जाएगा और बंदियों को नियमों के अंतर्गत निर्धारित अभिरक्षा, पर्यवेक्षण और सुधार के लिए कारा में रखा जाएगा।

41. मृत्युदंड की सजा पाए बंदी।

1. मृत्यु दण्ड के अधीन प्रत्येक बंदी की, उसकी मृत्यु दण्ड की सजा अन्तिम रूप से निश्चित होने के तुरन्त बाद, कारापाल द्वारा या उसके आदेश पर तलाशी ली जाएगी तथा उससे वे सभी वस्तुएं ले ली जाएंगी जिन्हें कारापाल उसके कब्जे में छोड़ना खतरनाक या अनुचित समझता हो।
2. ऐसे प्रत्येक बंदी को अन्य सभी बंदियों से पृथक एक प्रकोष्ठ में रखा जाएगा, तथा दिन और रात में उसे एक सुरक्षा कर्मी के प्रभार में रखा जाएगा।

अध्याय XI

कारा सुरक्षा ढांचा

42. कारा में सम्यक व्यवस्था और नियंत्रण

1. कारा को अपराधियों के पलायन (पलायन के प्रयास सहित) से सुरक्षित किया जाएगा, ताकि सम्यक व्यवस्था और नियंत्रण बनाए रखा जा सके और उद्देश्यपूर्ण सुधारात्मक हस्तक्षेप किए जा सकें। सम्यक व्यवस्था और नियंत्रण बनाए रखना कारा सुरक्षा का सिद्धांत है।

2. कारा में सम्यक व्यवस्था ,प्रक्रियात्मक सुरक्षा, प्रक्रियात्मक क्षमता और दक्षता, क्रियाशील सुरक्षा तथा नियमों द्वारा निर्धारित आकस्मिक योजना द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

3. प्रक्रियात्मक सुरक्षा के अंतर्गत बंदियों के वर्गीकरण और जोखिम मूल्यांकन, गिनती, तलाशी, निगरानी, पर्यवेक्षण और संवाद और ऐसे अन्य कारकों के आधार पर उनके संबंधित स्थान के सुरक्षा कार्य का विवरण होता है, जिन्हें किसी भी चुनौती से निपटने के लिए सरकार आवश्यक समझे। पर्यवेक्षण और निगरानी के सुरक्षा कार्य के अंतर्गत रणनीतिक और कमजोर बिंदुओं पर बलों की तैनाती, नियुक्ति के लिए साप्ताहिक या दैनिक रोस्टर और उन सुरक्षा बलों द्वारा निर्वहन करने वाली परिभाषित ड्यूटी सम्मिलित हैं। बलों की प्रभावी तैनाती के लिए कर्तव्यों का घूर्णी रोस्टर कार्य में रखा जाएगा। लॉकअप और वार्ड खोलने के समय, उपस्थापन तथा विचारण के पश्चात न्यायालय वापस आने के बाद कारा प्रवेश के समय बंदियों की अनिवार्य तलाशी होगी। इस अधिनियम के अंतर्गत नियमों द्वारा कारा के मुख्य द्वार के माध्यम से प्रतिबन्धित वस्तु तस्करी के लिए बंदियों के साथ-साथ कारा कक्षपालों के कारा प्रवेश और निकास के प्रकरण, चाहे किसी भी उद्देश्य से हों, निर्धारित गहन तलाशी द्वारा अनिवार्य रूप से हस्तक्षेप कर रोका जाएगा।

4. नियमों के अनुसार बंदियों को भौतिक मुलाक़ात, टेलीफ़ोन संवाद या वीडियो मुलाक़ात के माध्यम से अधिकृत संवाद की सुविधा प्रदान की जा सकती है। नियमों में उल्लिखित तरीके के अलावा किसी अन्य तरीके से बंदियों का बाहरी दुनिया से संवाद अनधिकृत माना जाता है और इसलिए यह विधि के अंतर्गत दंडनीय है।

5. प्रक्रियात्मक क्षमता और दक्षता नियमों के अंतर्गत निर्धारित सुरक्षा कर्मचारी-बंदी अनुपात, प्रशिक्षण और कर्तव्यों के निर्वहन में व्यावसायिकता पर आधारित है। व्यावसायिकता के लिए कारा अधिकारियों के सभी श्रेणीयों के लिए पर्याप्त आवधिक प्रशिक्षण सुविधा की सुविधा दी जाएगी।

6. अधीक्षक और कारापाल यह सुनिश्चित करेंगे कि वे दिन के साथ-साथ रात में भी कारा का भ्रमण करें ताकि नियमों के अंतर्गत अपेक्षित सुरक्षा की स्थिति और अभिरक्षा अनुशासन से संबंधित अन्य विषयों तथा समस्याओं को देखा जा सके।

7. आकस्मिक योजना परिदृश्यों की कल्पना है, जिसके फलस्वरूप उपलब्ध संसाधनों और सुरक्षा बलों की कर्तव्य तत्परता के आधार पर आपकी संस्थानिक प्रतिक्रिया होती है। संगठनात्मक स्वास्थ्य को मापने के लिए नियमित रूप से सुरक्षा अंकेक्षण (ऑडिट) आयोजित किया जाना चाहिए । क्रियाशील सुरक्षा में विश्वास और सौहार्द का माहौल विकसित करने के लिए और आपातकालीन स्थितियों या घटनाओं की संभावना के विरुद्ध समय पर कार्रवाई करने के साथ-साथ निवारक उपाय करने के लिए कारा की आसूचना एकत्र करने के लिए बंदियों के साथ कर्मचारियों का सक्रिय और सहानुभूतिपूर्ण संवाद अंतर्निहित है।

8. कारा में नियंत्रण के संरक्षण के अंतर्गत भवन की संरचना, द्वार, खिड़कियां, परिमिति दीवार और अन्य अवरोध, भवन संरचना पर सुरक्षात्मक प्रौद्योगिकी अधिष्ठापन सुरक्षा, बल का प्रयोग और आकस्मिक घटना प्रबंधन (कारा की आपात स्थितियों के मामले में कार्रवाई के लिए लिखित प्रक्रिया, उदाहरण के लिए, पलायन, हिंसा, दंगा, आग, बंधक, बम विस्फोट आदि) से संबंधित स्थैतिक सुरक्षा और अभिगम नियंत्रण सम्मिलित है।

9. अधीक्षक पूरे कारा परिसर और परिमिति दीवार सीमावर्ती क्षेत्र का सुरक्षा मानचित्र तैयार करेंगे जिसमें विशेष रूप से कमजोर बिंदुओं को दर्शाया जाएगा जहां अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है और तदनुसार पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए बलों की तैनाती की जाएगी। अधीक्षक कारा की सुरक्षा और नियमों के अंतर्गत आवश्यक बंदियों की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भौतिक, प्रक्रियात्मक (संचालन) और क्रियाशील सुरक्षा के अवयव इकाइयों का उचित समावेश की व्यवस्था करेंगे।

10. प्रक्रियात्मक सुरक्षा का प्रारंभ जोखिम मूल्यांकन के आधार पर बंदियों का वर्गीकरण से होता है। अधिकतम या उच्च सुरक्षा वाले बंदियों को प्रशासनिक पृथक्करण में रखा जाएगा। उन्हें न्यूनतम प्रतिबंधात्मक (आवश्यकता से अधिक नहीं) प्रकोष्ठों में पृथक रुप से रखा जाएगा और कारा के अंदर उनकी गतिविधियों के साथ उचित निगरानी की जाएगी। उन्हें प्रतिबंधित वस्तुओं के लिए नियमित और औचक तलाशी तथा निरंतर निगरानी के अधीन किया जाएगा। साथ ही, उनकी अभिरक्षा में भी अनुशासन और निगरानी के विरुद्ध उनको प्रदत्त मानवाधिकार और भारत के संविधान द्वारा निहित अन्य अधिकार की प्रधानता होगी ।

अध्याय XII
बंदियों का मानवाधिकार प्रबंधन

43. पर्याप्त जीवन स्तर या बंदियों का संरक्षण

1. आवासन

बंदियों को सरकार द्वारा निर्धारित मानक विनिर्देशों के अनुसार उनके सुरक्षा वर्गीकरण के के आधार पर आवासित किया जाएगा। इन विनिर्देशों में सोने और आवागमन के लिए न्यूनतम सतही क्षेत्र, वायु-संचालन और प्रकाश आपतन के लिए क्यूबिकल वॉल्यूम और आवाजाही के लिए सामान्य गलियारा सम्मिलित होगा। रहने वाले बैरकों की व्यवस्था और रचना इस प्रकार से होगी कि बंदियों की निगरानी, नियंत्रण और सुरक्षित अभिरक्षा के लिए आवास की सुविधा नियमों में निर्धारित मापदंड के अनुसार हो।

2. आहार

सरकार द्वारा निर्धारित मानक पोषण मूल्यों के आधार पर बंदियों को प्रतिदिन आहार के परिमाण के अनुसार आहार प्रदान किया जाएगा। आहार वस्तुओं का क्रय, प्राप्ति और उसका भंडारण सरकार द्वारा निर्धारित मानक मानदंड और प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। भोजन की स्वच्छतापूर्ण तैयारी और उसके वितरण का अनुश्रवण चिकित्सा अधिकारी और कारापाल द्वारा की जाएगी। कारा के गोदाम, पाकशाला, भोजन कक्ष और प्रक्षालन क्षेत्र का निर्माण सुरक्षा मानदंडों और सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।

3. शुद्ध पेयजल और अन्य प्रयोजनों के लिए जल

बंदियों को दैनिक जल सेवन और रसोईघर में भोजन तैयार करने के लिए शुद्ध जल तथा स्नान और शौचालय के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध होगा।

4. कपड़े और बिस्तर का प्रावधान

बंदियों को पर्याप्त रूप से जलवायु/ मौसम/ ऋतु के अनुकूल कपड़े और बिस्तर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन के अधीन विचाराधीन बंदी अपने स्वयं के स्रोतों से कपड़े और बिस्तर प्राप्त कर सकते हैं। विचाराधीन बंदी जो अपने लिए पर्याप्त कपड़े और बिस्तर उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं, उन्हें आवश्यकतानुसार कपड़े और बिस्तर उपलब्ध कराए जाएंगे।

5. कुछ बंदियों का भरण-पोषण / संरक्षण निजी स्रोतों से

किसी सिविल बंदी या विचाराधीन बंदी को अपना भरण-पोषण/ संरक्षण करने तथा उचित समय पर निजी स्रोतों से भोजन, कपड़े, बिस्तर या अन्य आवश्यक वस्तुएं क्रय करने या प्राप्त करने की अनुमति होगी, किन्तु यह सुरक्षा प्रोटोकॉल, जांच तथा महानिरीक्षक द्वारा अनुमोदित ऐसे नियमों के अधीन होगा।

44. बंदियों के विधिक अधिकार

बंदियों को विधिक अधिकार दिए गए हैं कि अगर वे आर्थिक रूप से स्वयं अपील दायर करने में सक्षम नहीं हैं तो उन्हें कारा के माध्यम से निचली न्यायालय द्वारा दी गई सजा के विरुद्ध उच्च अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें (बंदियों को) राज्य के व्यय पर अपने प्रकरण की पक्षसमर्थन के लिए विधिक सलाहकार भी उपलब्ध कराया जाएगा।

45. आस्था और उपासना का पालन करने का अधिकार

बंदियों को अपनी उपासना और आस्था का पालन करने का अधिकार है, बशर्ते सुरक्षा प्रोटोकॉल इसकी अनुमति दे और इससे दूसरों की आस्था बाधित न हो या वैचारिक मतारोपण भावना न पैदा हो जिससे हिंसा की ओर प्रवृत्त कट्टरता प्रभावी हो । उन्हें किसी भी तरह के धर्मांतरण की अनुमति नहीं है, जिसमें मतपरिवर्तन और धर्म परिवर्तन सम्मिलित हो।

अध्याय XIII
बाह्य जगत से मुलाकात/ साक्षात्कार या संपर्क

46. अधिकृत संवाद और मुलाक़ात / साक्षात्कार

1. भौतिक और डिजिटल मुलाक़ात

बंदियों को सरकार द्वारा तय किए गए नियम केअनुसार अपने परिजनो, मित्रों और विधिक सलाहकारों के साथ, भौतिक, टेलीफोन या डिजिटल संचार से संवाद करने की अनुमति होगी, बशर्ते कि सुरक्षा प्रोटोकॉल और अच्छे आचरण का पालन किया जाए। साक्षात्कार की प्रक्रिया, आवृत्ति, अवधि और स्थान सरकार द्वारा तय किए जाएंगे। आगंतुकों के अनुरोध को अधीक्षक द्वारा अनुमति दी जाएगी या यदि अधीक्षक की राय है कि साक्षात्कार इस अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करता है या यह साक्षात्कार कारा की सुरक्षा और सार्वजनिक शांति को भंग कर सकता है, तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। आगंतुकों को इस प्रकार साक्षात्कार से इनकार करने की सूचना अविलम्ब दी जाएगी। साक्षात्कार हेतु आवेदन प्राप्त होने से लेकर अनुमति प्रदान करने या इनकार करने तक की मुलाकात की प्रक्रिया को इस अधिनियम के नियम में निर्धारित पंजी में प्रविष्ट किया जाएगा।

2. आगंतुकों का बायोमेट्रिक अधिप्रमाणीकरण

आगंतुकों को सरकार द्वारा निर्गत पहचान पत्र, जिसमें फोटो और पता दोनों होंगे, द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा और बायोमेट्रिक रूप से भी । मुलाकात से पहले उनकी अच्छी तरह से तलाशी ली जाएगी। साक्षात्कार में वार्ता पारिवारिक, घरेलू या न्यायालय में लंबित वाद से संबंधित विषयों के अनुरूप होना चाहिए। किसी भी विषयों में राजनीतिक वार्ता या प्रचार की अनुमति नहीं दी जाएगी और तदनुसार मुलाकात की सुविधा अविलम्ब वापस ले ली जाएगी।

3. **आगंतुकों और बंदियों की तलाशी**

(a) आगंतुकों को साक्षात्कार से पहले उसी लिंग के कक्षपाल द्वारा अच्छी तरह से तलाशी लेनी होगी ताकि यदि कोई प्रतिबंधित वस्तु हो तो उसे जब्त किया जा सके। प्रतिबंधित वस्तु जब्त होने पर आगंतुकों पर विधिक रूप से अभियोग चलाया जा सकता है और उन्हें मुलाकात की सुविधा से वंचित किया जा सकता है। तलाशी अपमानजनक, अवक्रमण या सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए खुली तथा लिंग तटस्थ नहीं होनी चाहिए । महिलाओं, बच्चों, ट्रांसजेंडर या विकलांग व्यक्तियों की तलाशी के लिए नियमों के अंतर्गत निर्धारित उचित प्रावधान और सावधानी का पालन किया जाएगा ।

(b) यदि आगंतुक तलाशी देने से इनकार करते हैं, तो उनसे मुलाकात करने से मना कर दिया जाएगा तथा इस प्रकरण को मुलाकात पंजी में प्रविष्ट कर लिया जाएगा।

4. **विधिक परामर्शदाता का भ्रमण**

बंदियों को इस अधिनियम के नियमों के अनुसार अपने विधिक परामर्शदाता से संवाद करने की पर्याप्त सुविधा दी जाएगी।

5. **विदेशी बंदियों से मुलाकात**

इस अधिनियम के नियमों के अनुसार विदेशी बंदी अपने परिवार के सदस्यों, वकील प्रतिनिधियों से संवाद कर सकते हैं।

अध्याय XIV
अभिरक्षा अनुशासन और विनियमन

47. अभिरक्षा अनुशासन और कारा विनियमन

1. अधीक्षक के पास कारा में अनुशासन और सम्यक व्यवस्था लागू करने के लिए आवश्यक और पर्याप्त अधिकार होंगे, ताकि बंदियों की ,नियमों में निर्धारित सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वह, बंदियों और कारा अधिकारियों दोनों से अधिनियम में दिए गए नियमों के उचित पालन कराने के लिए उत्तरदायी है।

2. अधीक्षक नियमों में निर्धारित उल्लंघन और अनुशासन भंग के लिए बंदियों को दंड देगा।

3. बंदियों का कर्तव्य होगा कि वे कारा के नियमों और विनियमों का पालन करें तथा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कारा अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें।

अध्याय XV
कारा अपराध और दंड

48. कारा अपराध

किसी बंदी द्वारा किए गए निम्नलिखित कृत्यों को कारागार अपराध घोषित किया जाता है-

1. कारा के किसी विनियमन की ऐसी जानबूझकर अवज्ञा जो इस अधिनियम की धारा 87 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा कारा अपराध घोषित की गई हो।
2. किसी भी प्रकार का हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।
3. अपमानजनक, धमकीपूर्ण या दुर्वचन भाषा का प्रयोग।
4. अनैतिक या अभद्र या अव्यवस्थित व्यवहार।
5. जानबूझकर खुद को श्रम से अक्षम करना।
6. काम करने से इनकार करना
7. बिना उचित अनुमति के हथकड़ी या सलाखों को रगड़ना, काटना, बदलना या हटाना।
8. कठोर कारावास की सजा प्राप्त किसी भी बंदी द्वारा काम में जानबूझकर आलस्य या लापरवाही बरतना।
9. कठोर कारावास की सजा प्राप्त किसी भी बंदी द्वारा जानबूझकर कार्य का कुप्रबंधन करना।
10. कारा या किसी सरकारी संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना।
11. इतिवृति पत्रक, अभिलेखों या दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करना या उन्हें ख़राब करना
12. किसी भी निषिद्ध वस्तु या प्रतिबंधित सामान की तस्करी, प्राप्ति, कब्जा या हस्तांतरण
13. बीमारी का बहाना करना
14. साथी बंदियों को यातना देकर या धमकी देकर उनसे बलपूर्वक फिरौती मांगना
15. साथी बंदियों के प्रति यौन रुझान या उत्पीड़न
16. किसी कारा अधिकारी या बंदी के विरुद्ध जानबूझकर झूठा आरोप लगाना।
17. अपने व्यक्तित्व और प्रभाव की तलाशी लेने से इंकार करना
18. किसी बंदी या कारा अधिकारी पर आगजनी, साजिश या षडयंत्र, पलायन, पलायन का प्रयास या तैयारी, तथा हमले या हमले की तैयारी की घटना की जानकारी मिलते ही रिपोर्ट करने से इंकार करना या छोड़ देना।
19. पलायन का षडयंत्र करना या पलायन में सहायता करना, या पूर्वोक्त अपराधों में से कोई अन्य अपराध करना।
20. कारा से अनधिकृत संवाद के माध्यम से बाहरी लोगों से अनधिकृत संवाद करना या किसी बाहरी व्यक्ति को धमकाना या फिरौती मांगना
21. कारा सॉफ्टवेयर , डेटा, वेब-पोर्टल, कनेक्टिविटी और हार्डवेयर से संबंधित साइबर अपराध करना।
22. ऐसा कोई भी कार्य जिसे सरकार कारा अपराध के रूप में वर्गीकृत कर सकती है।

49. कारा अपराधों की जांच और ऐसे अपराधों के लिए दंड का निर्धारण

अधीक्षक नियमों के अनुसार बंदी (बंदियों) द्वारा किए गए कारा अपराध की जांच करेंगे और यदि भारतीय न्याय संहिता, 2023 और अन्य आपराधिक कानूनों में उल्लिखित अपराधों को छोड़कर ऊपर सूचीबद्ध किए गए कार्यों या चूक/अकृत्य द्वारा कारा अपराध करने का दोषी पाया जाता है, तो निम्नलिखित दंड देंगे।

1. दण्ड पुस्तिका और इतिवृति पत्रक में दर्ज की जाने वाली औपचारिक चेतावनी या फटकार

स्पष्टीकरण: औपचारिक चेतावनी का अर्थ अधीक्षक द्वारा बंदी को व्यक्तिगत रूप से दी गई चेतावनी है, तथा उसे दंड पुस्तिका और बंदी के इतिवृति पत्रक में दर्ज किया जाता है।

2. सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार, वर्तमान में लागू परिहार प्रणाली के अंतर्गत स्वीकार्य विशेषाधिकार की हानि।

3. कानूनी सलाहकार के दौरे को छोड़कर एक महीने के लिए मुलाकात की सुविधा पर प्रतिबंध

4. एक वर्ष के लिए पैरोल लेने पर रोक

5. कैंटीन सुविधा एक माह के लिए स्थगित

6. तीन महीने से अधिक अवधि के लिए पृथक कारावास
स्पष्टीकरण: पृथक कारावास से तात्पर्य श्रम सहित या श्रम रहित ऐसे कारावास से है जो बंदी को अन्य बंदियों से संवाद करने से या उनकी दृष्टि से दूर रखता है, तथा उसे प्रतिदिन कम से कम एक घंटा व्यायाम करने और एक या अधिक बंदियों के साथ भोजन करने की अनुमति देता है।

7. चौदह दिनों से अधिक अवधि के लिए सेलुलर कारावास
स्पष्टीकरण: सेलुलर कारावास से तात्पर्य ऐसे कारावास से है जिसमें श्रम हो या न हो , जो बंदी को अन्य बंदियों के साथ संवाद से पूरी तरह से पृथक कर देता है, या उन्हें उनकी दृष्टि से दूर कर देता है।

50. धारा 49 के अंतर्गत दण्ड की बहुलता

1. उपरोक्त धारा में से कोई भी दो दंड किसी ऐसे अपराध के लिए संयुक्त रूप से दिए जा सकते हैं, निम्नलिखित अपवादों के अधीन, अर्थात्

    1. औपचारिक चेतावनी को उस धारा के खंड (2) के अंतर्गत विशेषाधिकार की हानि को छोड़कर किसी अन्य दंड के साथ नहीं जोड़ा जाएगा;

    2. सेलुलर कारावास को पृथक कारावास के साथ संयोजित नहीं किया जाएगा, जिससे बंदी की एकांतवास की कुल अवधि लंबी हो जाए;

    3. राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के उल्लंघन में किसी भी सजा को किसी अन्य सजा के साथ संयोजित नहीं किया जाएगा;

2. कोई भी दंड ऐसे अधिरोपित इस प्रकार नहीं दिया जाएगा कि वह किसी अन्य ऐसे अपराध के लिए दिए गए दण्ड के साथ संयुक्त हो जाए, ऐसे दण्डों में से दो दण्ड जो किसी ऐसे अपराध के लिए संयुक्त रूप से नहीं दिए जा सकते।

51. धारा 49 और धारा 50 के अंतर्गत दंड का प्रावधान

1. अधीक्षक को पूर्वगामी अंतिम दो धाराओं में उल्लिखित कोई भी दण्ड देने की शक्ति होगी, बशर्ते कि एक माह से अधिक अवधि के लिए पृथक कारावास की दशा में महानिरीक्षक की पूर्व पुष्टि आवश्यक हो।

2. अधीक्षक के किसी अन्य अधीनस्थ पदाधिकारी को कोई भी दंड देने का अधिकार नहीं होगा।

52. दंड पुस्तकों में प्रविष्टियाँ

1. धारा 22 में निर्धारित दंड पुस्तिका में, दिए गए प्रत्येक दंड के संबंध में, बंदी का नाम, पंजी संख्या, वह वर्ग (चाहे अभ्यस्त हो या नहीं, या सुरक्षा वर्गीकरण), वह कारा अपराध जिसका वह दोषी था, वह तिथि जब ऐसा कारा अपराध किया गया था, बंदी के विरुद्ध प्रविष्टि, विगत कारा अपराधों की संख्या, तथा उसके अंतिम कारा अपराध की तिथि, दिया गया दंड, तथा दंड दिए जाने की तिथि प्रविष्टि की जाएगी।

2. प्रत्येक गंभीर काराअपराध के मामले में, अपराध को सिद्ध करने वाले गवाहों के नाम प्रविष्ट किए जाएंगे, अधीक्षक गवाहों के साक्ष्य का सार, बंदी का बचाव , तथा उसके कारणों सहित निष्कर्ष प्रविष्ट करेगा।

3. प्रत्येक दण्ड से संबंधित प्रविष्टियों के सामने कारार और अधीक्षक प्रविष्टियों की शुद्धता के साक्ष्य के रूप में अपने हस्ताक्षर लगाएंगे।

53. प्रतिबंधित सामान

प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची में निम्नलिखित सम्मिलित हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

1. किसी भी प्रकार का शराब या नशीला पदार्थ।

2. तम्बाकू चबाने के लिए सामग्री.

3. मादक द्रव्यों के सेवन की सामग्री

4. गांजा, अफीम या कोई अन्य नशीला पदार्थ या जहरीली वस्तु।

5. ज़हरीली सामग्री, आग जलाने के लिए सामग्री, या ऐसी सामग्री जो विकृति पैदा कर सकती है

6. सोना, धातु, धन, करेंसी नोट, मूल्यवान प्रतिभूतियाँ, किसी भी प्रकार के आभूषण या आभूषण, तथा हर प्रकार की मूल्यवान वस्तुएँ।

7. पुस्तकें, मुद्रित सामग्री, पत्र या किसी भी प्रकार की लेखन सामग्री जो अधीक्षक द्वारा अधिकृत न हो।

8. चाकू, हथियार, रस्सी, तार, बांस, सीढ़ियां, लाठी, कोई भी ऐसी वस्तु जिससे पलायन में आसानी हो या किसी भी प्रकार के उपकरण, सिवाय उनके जो कार्य के निष्पादन में उपयोग के लिए निर्गत किए गए हों, और ये केवल कार्यावधि के दौरान और ऐसे स्थानों पर अपवादस्वरूप हैं जहां कारा के कार्य के लिए उनकी आवश्यकता हो।

9. कोई भी वस्तु जो कारा के भंडार और आपूर्ति से बंदियों के उपयोग के लिए निर्गत नहीं की गई हो।

10. कोई भी डिजिटल मीडिया, मोबाइल, सिम, डिजिटल कैमरा, मोबाइल लिंक और इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले परिधेय योग्य गैजेट जैसे कि एप्पल वॉच, गूगल ग्लास, या ब्लूटूथ से युक्त कोई भी मीडिया, या वाई-फाई, वाई -मैक्स कनेक्टिविटी या मीडिया ट्रांसफर का कोई भी सॉफ्टवेयर जो आंतरिक या बाह्य संवाद को जोड़ने/संपर्क में सक्षम हो, पेन ड्राइव, कार्ड रीडर, आदि ।

11. कोई भी एप्लिकेशन, सॉफ़्टवेयर, डार्क वेब साइट और उसके एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर मैलवेयर, रैनसमवेयर, स्पाइवेयर, प्रतिबंधित या अवरुद्ध वेबसाइट, मैसेंजर, सोशल मीडिया एप्लिकेशन

12. ड्रोन या अन्य उड़ने वाली वस्तुएं जिन्हें दूर से नियंत्रित किया जा सकता है, कारा के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करके बंदियों तक प्रतिबंधित सामान पहुंचाना या कारा परिसर की वीडियोग्राफी करना, या किसी बंदी पर हमला करना या उसे गोली मारना

13. ऐसी कोई भी वस्तु जिसे सरकार प्रतिबंधित वस्तु के रूप में वर्गीकृत कर सकती है

54. प्रतिबंधित वस्तु की तस्करी और अनधिकृत संवाद के लिए इसके उपयोग के लिए सजा

2. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन किसी नियम के विपरीत, किसी कारा में या उससे कोई प्रतिषिद्ध वस्तु प्रविष्ट करेगा या निष्कासित करेगा, या किसी भी प्रकार से प्रविष्ट या निष्कासित करने का प्रयत्न करेगा, या कारा की सीमाओं के बाहर किसी बंदी को देगा या देने का प्रयत्न करेगा, और कारा का प्रत्येक अधिकारी, जो ऐसे किसी नियम के विपरीत, जानते हुए ऐसी किसी वस्तु को कारा में प्रविष्ट या निष्कासित किये जाने, किसी बंदी के कब्जे में रखे जाने, या कारा की सीमाओं के बाहर किसी बंदी को दिए जाने देगा, और जो कोई, ऐसे किसी नियम के विपरीत, किसी बंदी या बाहरी व्यक्ति से संवाद करेगा या संवाद करने का प्रयत्न करेगा, बंदियों या बाहरी व्यक्तियों से संवाद के लिए किसी डिजिटल युक्ति में संस्थापित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से इंटरनेट नेटवर्क तक पहुंचेगा या पहुंचने का प्रयत्न करेगा और जो कोई इस धारा द्वारा दण्डनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा , दण्डाधिकारी (मजिस्ट्रेट) के समक्ष दोषसिद्धि पर, कठोर कारावास जो तीन वर्ष की अवधि से अधिक नहीं हो से दण्डित किया जाएगा, या अर्थदंड जो पच्चीस रुपए से अधिक नहीं हो,लगाया जाएगा, या दोनों से दण्डित किया जाएगा, और जुर्माना न भुगतान की स्थिति में छह मास के साधारण कारावास से दण्डित किया जाएगा।

3. जो कोई भी कारा में किसी भी संपत्ति, भौतिक या डिजिटल, उपकरण से छेड़छाड़, नुकसान पहुंचाने या नष्ट करने के लिए पाया जाता है, वह दण्डाधिकारी (मजिस्ट्रेट) के समक्ष दोषसिद्ध होने पर, न्यूनतम दो वर्ष की अवधि के लिए कारावास से, जो तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या अर्थदंड जो पच्चीस रुपए से अधिक नहीं हो,लगाया जाएगा अथवा दोनों ,जुर्माना का भुगतान न करने पर छह महीने का साधारण कारावास से दण्डित किया जाएगा।

4. बंदी को, यदि वह पहले से ही सजा काट रहा है, तो उपधारा (1) या उपधारा (2) के अंतर्गत दी गई सजा पूरी होने पर भुगतनी होगी।

5. उपधारा (1) और (2) में उल्लिखित अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे।

55. कारा में अपराध को बार-बार दोहराने की प्रक्रिया

यदि कारा परिसर में कोई व्यक्ति कारा अनुशासन के विरुद्ध किसी अपराध का दोषी है, जो उसके द्वारा बार-बार ऐसा अपराध करने के कारण या अन्यथा, प्रभारी अधिकारी की राय में, किसी ऐसे दंड द्वारा पर्याप्त रूप से दंडनीय नहीं है, जिसे देने की शक्ति उसे इस अधिनियम के अधीन है, तो प्रभारी अधिकारी ऐसे बंदी के मामले को परिस्थितियों के विवरण के साथ अधिकारिता रखने वाले सक्षम दण्डाधिकारी (मजिस्ट्रेट) को भेजेगा, और ऐसा दण्डाधिकारी (मजिस्ट्रेट) उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप पर विचार करेगा, और दोषसिद्धि पर उसे कारावास की सजा दे सकता है, जो तीन वर्ष तक की अवधि के लिए हो सकती है। ऐसी अवधि किसी अन्य अवधि के अतिरिक्त होगी, जो ऐसा बंदी पहले से ही भुगत रहा हो।

56. कारा अपराधों और दंडों का प्रकाशन

कारा भारसाधक पदाधिकारी, बंदियों और कारा कर्मचारियों के संज्ञान के लिए, कारा के अंदर किसी प्रमुख स्थान पर अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में एक नोटिस चिपका सकता है, जिसमें इस अधिनियम के अधीन प्रतिषिद्ध कार्य और उनके किए जाने पर लगने वाले दंड का उल्लेख होगा।

अध्याय XVI
कारा का चिकित्सा प्रबंधन

57. बंदी की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल

1. प्रत्येक कारा में कम से कम एक चिकित्सा पदाधिकारी और ऐसे चिकित्सा अधीनस्थ अधिकारी होंगे जिन्हें सरकार आवश्यक समझे तथा जैसा कि नियमों में निर्धारित है, बंदियों के प्राथमिक स्वास्थ्य और चिकित्सिय देखभाल के लिए सरकारी मानदंडों और विनिर्देशों के अनुसार पुरुष और महिला बंदियों के लिए एक-एक अस्पताल होगा।

2. अस्पताल में बाह्य रोगी कक्ष (ओपीडी) और अंतःरोगी कक्ष, डिस्पेंसरी, ड्रेसिंग रूम, पैथोलॉजिकल प्रयोगशाला, एक्स-रे स्थापना, दंत चिकित्सा कक्ष, आइसोलेशन और क्वारंटीन वार्ड, रसोईघर और चिकित्सा अपशिष्ट निर्वत्य इकाई तथा ऐसी इकाई होगी जिसे सरकार आवश्यक समझे।

3. बीमार और अस्वस्थ बंदियों को कक्षपाल प्रभारी और उच्च कक्षपाल द्वारा उपचार के लिए कारा अस्पताल की ओपीडी में भेजा जाता है और यदि तत्काल चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है तो चिकित्सा पदाधिकारी या चिकित्सा पदाधिकारी की अनुपस्थिति में चिकित्सा अधीनस्थ द्वारा उन्हें भर्ती किया जा सकता है। चिकित्सा पदाधिकारी के पर्चे(निर्धारित औषधि) और चिकित्सा परामर्श को कारापाल को भेजा जाएगा जो परामर्श के अनुसार दवा उपलब्ध कराएगा या अन्य आवश्यक व्यवस्था करेगा। कारापाल और चिकित्सा पदाधिकारी गंभीर मामलों के बारे में अधीक्षक को सूचित करेंगे जिन पर तत्काल ध्यान देने या रेफरल की आवश्यकता है।

58. मानसिक स्वास्थ्य - मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और उपचार

सरकार, सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संरक्षण अधिनियम, 2017 की धारा 103 (अध्याय XIII) में उल्लिखित बोर्ड की पूर्व अनुमति से मानसिक बीमारी से ग्रस्त किसी भी बंदी को कारा अभिरक्षा के स्थान से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान में स्थानांतरित करने

का निर्देश दे सकती है। इस धारा के अंतर्गत बंदी के स्थानांतरण की विधि, साधन और प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी नियमों के अंतर्गत निर्धारित की जा सकती है।

59. चिकित्सा अधिकारियों के निर्देशों का अभिलेख

किसी बंदी के संबंध में चिकित्सा पदाधिकारी या चिकित्सा अधीनस्थ द्वारा दिए गए सभी निर्देश, औषधियों की आपूर्ति के आदेशों या ऐसे मामलों से संबंधित निर्देशों को छोड़कर, जिन्हें चिकित्सा पदाधिकारी स्वयं या उसके प्रबंधन (देख-रेख) में लागू करता है, बंदी के इतिवृति पत्रक में या ऐसे अन्य अभिलेख में, जैसा कि राज्य सरकार नियम द्वारा निर्दिष्ट करे, दिन-प्रतिदिन प्रविष्ट किए जाएंगे और कारापाल प्रत्येक निर्देश के संबंध में उसके अनुपालन किए जाने या न किए जाने के तथ्य को बताते हुए उसके उचित स्थान पर एक प्रविष्टि करेगा, साथ में ऐसी टिप्पणियां, यदि कोई हों, जो कारापाल करना ठीक समझे , और प्रविष्टि की तिथि भी होगी ।

60. उच्चतर केंद्र के लिए रेफरल

जिस बंदी को जिसे चिकित्सा पदाधिकारी की राय में अग्रेतर उपचार की आवश्यकता हो, उसे उचित प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन उचित सशस्त्र पुलिस सुरक्षा के अंतर्गत सदर अस्पताल या उच्चतर केंद्रों में रेफर किया जाएगा।

61. संक्रामक, संचारी, गैर-संचारी और अधिसूचित रोग

चिकित्सा पदाधिकारी बंदियों को होने वाली संक्रामक, संचारी, गैर-संचारी और अधिसूचित बीमारियों की जांच और उपचार के लिए सिविल सर्जन के साथ समन्वय स्थापित करेंगे।

62. महामारी

चिकित्सा पदाधिकारी कारा में महामारी के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए जिले के सिविल सर्जन के साथ समन्वय स्थापित करेंगे।

अध्याय XVII
महिला बंदियों के लिए कारा व्यवस्था

63. महिला बंदियों के लिए पृथक्करण और पृथक आवास

1. सरकार महिला बंदियों के संसीमन के लिए उतनी संख्या में अनन्य कारा स्थापित कर सकती है, जितनी वह आवश्यक समझे, ताकि महिला बंदियों को संसीमित रखा जा सके। महिला और पुरुष दोनों प्रकार के बंदियों के संसीमन के निमित्त कारा में महिला बंदियों को एक पृथक भवन परिसर अथवा उसी परिमिति परिसर के एक पृथक खंड परिसर में रखा जाएगा, जिसमें पृथक प्रवेश द्वार होगा, ताकि वे पुरुष बंदियों के संपर्क में न आएं। पुरुष बंदियों के लिए उपलब्ध कराई गई सभी आधारभूत संरचना और सुविधाएं महिला बंदियों को भी प्रदान की जा सकती हैं, साथ ही ऐसी अन्य सुविधाएं भी जो उनकी लैंगिक विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करती हों ।

2. महिला कारा परिसर की परिमिति की दीवार इतनी ऊंची होगी कि गोपनीयता बनाए रखने के लिए पुरुष कक्षों तथा निगरानी टावर की दृश्यता बाधित हो।

3. महिला कारा परिसर में एक अस्पताल, आवश्यक आधारभूत संरचना, रसोईघर, भोजन कक्ष, कार्यशाला, पुस्तकालय, मनोरंजन केन्द्र तथा सरकार द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली अन्य संरचना होगी।

4. महिला बंदियों के लिए नियमों के अनुसार पृथक मुलाकात कक्ष उपलब्ध होगा।

5. महिला कारा परिसर की सुरक्षा महिला कक्षपालों द्वारा की जाएगी, सिवाय कर्तव्य पाली परिवर्तन के समय उच्च कक्षपाल द्वारा महिला कारा परिसर के कक्षो में संसीमित महिला बंदियों की संख्या की पुष्टि करने के लिए एक संक्षिप्त भ्रमण करने के।

6. अधीक्षक या कारापाल अन्य महिला कक्षपालों की उपस्थिति में महिला कारा परिसर तथा कक्षो का भ्रमण करेंगे और यदि किसी आपातकालीन स्थिति में उन्हें नंबरबंदी के बाद महिला कारा परिसर का भ्रमण करना पड़े तो उनके साथ कर्तव्य पर नियुक्त उच्च कक्षपाल भी होगा।

7. कोई भी पुरुष बंदी किसी भी बहाने से महिला कारा परिसर में प्रवेश नहीं करेगा , सिवाय सुरक्षा प्रोटोकॉल के अंतर्गत मरम्मति और सफाई कार्यों के लिये।

64. महिला बंदियों के प्रजनन स्वास्थ्य का संरक्षण

महिला बंदियों के प्रजनन स्वास्थ्य और मासिक धर्म स्वच्छता को नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया द्वारासंरक्षित किया जाएगा और उसे अभिलेखित किया जाएगा।

65. गर्भवती महिला बंदी

प्रवेश के समय प्रत्येक महिला बंदी का गर्भावस्था परीक्षण किया जाएगा। यदि गर्भवती पाई जाती है, तो चिकित्सा पदाधिकारी इस परिस्थिति की सूचना अधीक्षक को देगा। चिकित्सा कार्यालय गर्भवती महिला बंदी को प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल, सोनोग्राफी और स्त्री रोग संबंधी परामर्श के लिए जिला अस्पताल में रेफर करना सुनिश्चित करेगा। किसी भी परिस्थिति में गर्भवती महिला बंदी को कारा या कारा अस्पताल में बच्चे को जन्म नहीं देना चाहिए, बल्कि अनिवार्य रूप से प्रसूति वार्ड और सर्जरी विभाग से सुसज्जित जिला अस्पताल में जन्म देना चाहिए। चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए नियमों के अंतर्गत निर्धारित किए पोषण आहार और आवश्यक दवाएँ और पूरक आहार प्रदान किए जाएँगे।

66. महिला बंदी के साथ बच्चे

महिला बंदियों को अपने बच्चों को महिला कक्ष में तब तक अपने साथ रखना होगा जब तक कि बच्चा छह वर्ष की आयु या सरकार द्वारा निर्धारित आयु प्राप्त नहीं कर लेता। अपनी माताओं के साथ रहने वाले बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार आहार, स्वास्थ्य देखभाल, उनकी आयु के अनुसार टीकाकरण और नियमों के अंतर्गत निर्धारित अन्य सुविधाऐ प्रदान की जाएंगी। बच्चों को शिक्षा देने और उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास के लिए प्रत्येक कारा में क्रेच की स्थापना की जाएगी।

67. यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच

किसी महिला बंदी के यौन उत्पीड़न की शिकायत या सूचना पर विधिक प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

अध्याय XVIII
ट्रांसजेंडर बंदी

68. ट्रांसजेंडर बंदियों के लिए कारा व्यवस्था

1. नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ट्रांसजेंडर बंदियों, ट्रांसपुरुष और ट्रांसमहिला दोनों के संसीमन के लिए से परिसर / कक्ष उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
2. ट्रांसजेंडर बंदियों को किसी भी विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल या मनो-सामाजिक आवश्यकता के लिए अभिगमन प्रदान की जा सकती है। ट्रांसजेंडर बंदियों को सुधार कार्यक्रमों और गतिविधियों के लिए अभिगमन प्रदान की जा सकती है।

अध्याय XIX
सुधारात्मक हस्तक्षेप के लिए केस प्रबंधन

69. सज़ा कालावधि नियोजन के लिए केस प्रबंधन इकाई

1. कारा में प्रवेश और आगमन के बाद बंदियों को उनके आवास के प्रकार (प्रकोष्ठ, कक्ष या प्रशासनिक पृथक्करण) में रखने के लिए सुरक्षा वर्गीकरण के अधीन किया जाता है ताकि अभिरक्षा प्रतिबंध और पर्यवेक्षण के स्तर को सुनिश्चित किया जा सके। अभिरक्षा और पर्यवेक्षण के स्तर के अनुसार, कारा में बंदियों में केस मैनेजमेंट यूनिट द्वारा क्रमिक, अनुश्रवित और लक्षित तरीके से सुधारात्मक हस्तक्षेप करने के लिए विचार कियाजाता है। प्रत्येक बंदी को एक केस अधिकारी सौंपा जाता है जो केस मैनेजर को हस्तक्षेप की प्रगति की रिपोर्ट करता है। केस मैनेजमेंट यूनिट बंदियों को समाज में उनके सफल पुन: प्रवेश और पुनर्वास के लिए तैयार करती है। नियमों द्वारा निर्धारित अनुक्रमों के माध्यम से केस प्रबंधन प्रक्रिया को श्रेष्ठतर परिणाम के लिए अभिलेखित और विश्लेषण किया जाएगा।

2. नियमों द्वारा निर्धारित सुधारात्मक हस्तक्षेपों के अंतर्गत साक्षरता और शिक्षा निरन्तर रखना, व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल-सेट विकास और कारा कार्यशाला में पारिश्रमिक कार्य असाइनमेंट सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। केस प्रबंधन इकाई अनुक्रमिक आउटपुट की निगरानी करेगी और बंदियों को मार्गदर्शन प्रदान करेगी।

3. अधिनियम के अंतर्गत नियमों के अनुसार बंदियों को सुधारात्मक हस्तक्षेप के साधन के रूप में उद्देश्यपूर्ण गतिविधियों में लगाया जाएगा। इन उद्देश्यपूर्ण गतिविधियों में सतत शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल-सेट का विकास या सरकार द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक के आधार पर कार्य असाइनमेंट सम्मिलित होंगे।

4. सिद्ध दोषी बंदियों द्वारा अर्जित पारिश्रमिक का एक निश्चित हिस्सा नियमों के अनुसार पीड़ित या पीड़ित के आश्रित को दिया जाएगा।

5. किसी भी बंदी को किसी भी क्षमता में कोई कार्य तब तक नहीं सौंपा जाएगा जब तक कि चिकित्सा अधिकारी यह न पता लगा ले और प्रमाणित न कर दे कि वह अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति के अनुरूप श्रम की श्रेणी में वर्गीकृत उस कार्य को करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है।

6. ज़ब चिकित्सा पदाधिकारी की यह राय हो कि किसी बंदी का स्वास्थ्य किसी प्रकार या श्रेणी के श्रम पर नियोजन के कारण पीड़ित हो रहा है, तो ऐसे बंदी को उस श्रम पर नियोजित नहीं किया जाएगा, बल्कि ऐसे अन्य प्रकार या श्रेणी के श्रम पर रखा जाएगा, जिसे चिकित्सा पदाधिकारी उसके लिए उपयुक्त समझे।

अध्याय XX

मुक्त और अर्धमुक्त कारा

70. मुक्त और अर्ध मुक्त कारा एवं सुधारात्मक संस्थान

1. सरकार आवश्यकतानुसार बंदियों के लिए अधिक से अधिक मुक्त और अर्धमुक्त कारा एवं सुधारात्मक संस्थान स्थापित एवं संचालित कर सकती है।

2. सरकार ऐसे अधिक मुक्त और अर्धमुक्त कारा एवं सुधारात्मक संस्थान में ऐसी सुविधाएं या रियायतें दे सकती है जो बंदी को समाज में उसके पुनर्वास में सहायता कर सकती हैं, जैसा कि नियमों के अंतर्गत निर्धारित किया जा सकता है।

3. मुक्त और अर्धमुक्त कारा एवं सुधारात्मक संस्थानों के प्रबंधन के नियम, जिनमें ऐसे सुधारात्मक संस्थानों में स्थानांतरित किए जा सकने वाले बंदियों की चयन प्रक्रिया और पात्रता, मुक्त और अर्धमुक्त कारा एवं सुधारात्मक संस्थानों में स्थानांतरण की किसी शर्त का उल्लंघन करने वाले बंदियों पर कार्रवाई आदि सम्मिलित हैं, वे होंगे जो सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

अध्याय XXI
कारा अवकाश

71. पैरोल और फरलो

1. योग्य सिद्धदोष बंदियों को अच्छे आचरण और सुधारात्मक उपचार के प्रति संवेदनशीलता के लिए प्रोत्साहन के रूप में अस्थाई कारा निर्मुक्ति (कारा अवकाश) प्रदान किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य उनके पुनर्वासन के लिए हो, जैसा कि नियमों के अंतर्गत निर्धारित किया जा सकता है।

2. कारा अवकाश के निम्न प्रकार हो सकते हैं:
   1. साधारण अस्थाई कारा निर्मुक्ति
   2. आपातकालीन अस्थाई कारा निर्मुक्ति
   3. अस्थाई अवकाश (फरलो)

3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा पात्रता युक्त सिध्ददोष बंदियों को नियमित/ साधारण अस्थाई कारा निर्मुक्ति ऐसी शर्तों पर और ऐसे उद्देश्यों के लिए दी जा सकती है, जो नियमों के अंतर्गत निर्धारित की जा सकती हैं। नियमित/ साधारण अस्थाई कारा निर्मुक्ति पर बिताई गई अवधि एक बार में तीस दिनों से अधिक नहीं हो सकती है और एक वर्ष में एक से अधिक बार नहीं दी जा सकती है। नियमित/ साधारण अस्थाई कारा निर्मुक्ति पर बिताई गई अवधि को सजा के हिस्से के रूप में नहीं गिना जाएगा।

4. आपातकालीन अस्थाई कारा निर्मुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा आकस्मिक या आपातकालीन परिस्थितियों में पात्रता युक्त सिध्ददोष बंदियों को पुलिस सुरक्षा के अंतर्गत नियमों के अंतर्गत निर्धारित 48 घंटे तक की अवधि के लिए दी जा सकती है। इस अस्थाई कारा निर्मुक्ति के अंतर्गत बिताई गई अवधि को सजा के हिस्से के रूप में गिना जाएगा।

5. तीन साल की कैद पूरी होने के बाद कारा में अच्छे आचरण और अनुशासन को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन के तौर पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पात्र दोषियों को एक साल में अधिकतम 14 दिनों के लिए फरलो दी जा सकती है। फरलो पर बिताई गई अवधि को बंदी द्वारा काटी गई सजा के हिस्से के रूप में गिना जाएगा। संघ के सशस्त्र बलों से संबंधित किसी भी कानून द्वारा शासित बंदियों के लिए, अवकाश का अनुदान उन कानूनों के प्रावधानों के अधीन होगा। सार्वजनिक सुरक्षा और पैरोल जंपिंग को रोकने के लिए, बंदियों को ऐसे बंदियों की आवाजाही और गतिविधि की निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइस पहनने की उनकी इच्छा पर कारा अवकाश दी जा सकती है। बंदी द्वारा किए गए किसी भी उल्लंघन के लिए कारा अवकाश रद्द कर दी जाएगी, इसके अलावा नियमों के अंतर्गत भविष्य में दी जाने वाली किसी भी कारा अवकाश से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यदि पैरोल या फरलो पर आया कोई बंदी नियत तिथि पर आत्मसमर्पण करने में विफल रहता है, तो कारा के प्रभारी अधिकारी की सूचना पर, पुलिस भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 262 के प्रावधानों के अंतर्गत बंदी को गिरफ्तार करेगी और प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करें कानून की।

अध्याय XXII
कारा का निरीक्षण और परिदर्शक का बोर्ड

72. कारा का निरीक्षण

1. कारा के निरीक्षण के लिए द्वय परत व्यवस्था हो सकती है:

    1. वरिष्ठ कारा अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाना - कारा एवं सुधारात्मक सेवाओं के प्रमुख नियमों के अंतर्गत निर्धारित समय-समय पर किसी उपयुक्त रैंक के अधिकारी द्वारा कारा का निरीक्षण कर सकते हैं;

    2. विजिटर्स बोर्ड द्वारा किए गए निरीक्षण - विजिटर्स बोर्ड का नेतृत्व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है , जैसा भी मामला हो, और इसमें ऐसे कार्यों को करने के लिए ऐसे अन्य सरकारी और गैर-सरकारी सदस्य सम्मिलित हो सकते हैं, जैसा कि नियमों के अंतर्गत निर्धारित किया जा सकता है।

2. प्रत्येक निरीक्षण के बाद कारा के प्रभारी अधिकारी और कारा एवं सुधारात्मक सेवाओं के निरीक्षणालय के प्रमुख को लिखित रिपोर्ट दी जाएगी।

अध्याय XXIII
देखभाल एवं पुनर्वास सेवाएं

73. कारामुक्ति उत्तर काल देखभाल और पुनर्वास सेवाएं

सरकार कारा से मुक्त किए गए सभी अभावग्रस्त बंदियों को पश्चातवर्ती देखभाल सेवाएं प्रदान करने का प्रयास कर सकती है , ताकि उनका पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सके और समाज में उनका पुनः एकीकरण हो सके तथा उनके पुनः अपराध करने की संभावना कम हो सके।

अध्याय XXIV
मिश्रित

74. विधिक सहायता

सरकार 'विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987' के प्रावधानों तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार या नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता की सुविधा प्रदान कर सकती है।

75. प्रत्येक जिले के लिए विचाराधीन बंदियों की समीक्षा समिति का गठन

1. प्रत्येक जिले के लिए एक विचाराधीन बंदी समीक्षा समिति होगी, जिसके अध्यक्ष प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश होंगे तथा इसमें ऐसे अन्य सदस्य होंगे तथा यह ऐसे कार्य करेगी, जैसा नियमों के अंतर्गत निर्धारित किया जा सकता है।
2. समिति समय-समय पर बैठक करेगी तथा जिले की सभी कारा में पात्रता युक्त बंदियों के प्रकरण की समीक्षा करेगी तथा उचित अनुशंसा करेगी।

76. बंदी की मौत पर रिपोर्ट

किसी भी बंदी की मृत्यु होने पर, चिकित्सा पदाधिकारी नियमों के अंतर्गत निर्धारित मामले के सभी प्रासंगिक विवरण और विवरण तुरंत रिकॉर्ड करेगा और रिपोर्ट कारा के प्रभारी पदाधिकारी और कारा और सुधारात्मक सेवाओं के प्रमुख को भेजेगा।

77. कैंटीन और विक्रय केन्द्रों की स्थापना

नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, बंदियों, कारा कर्मचारियों और सामान्य जन को कारा उत्पादों सहित उत्पादों के विक्रय के लिए कारा में कैंटीन और विक्रय केन्द्र स्थापित किए जा सकते हैं।

78. शिकायत निवारण तंत्र

बंदियों और कारा कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए नियमों के अंतर्गत एक उपयुक्त व्यवस्था निर्धारित की जा सकती है।

79. बंदियों की सेवाओं का उपयोग

प्रभारी अधिकारी कारा के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन और प्रबंधन के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार बंदियों की सेवाओं का उपयोग कर सकता है।

80. हड़ताल और आंदोलन पर प्रतिबंध

किसी भी बंदी, परिदर्शक, कारा में कार्यरत किसी भी व्यक्ति को किसी अनुरोध या मांग को प्राप्त करने के लिए कारा के अंदर हड़ताल करने या कोई आंदोलन शुरू करने या जारी रखने का कोई अधिकार नहीं होगा।

81. कारा आपातस्थितियाँ

प्रभारी अधिकारी, जैसा कि नियमों के अंतर्गत निर्धारित किया जा सकता है, कारा में किसी भी आपातकालीन स्थिति को रोकने और नियंत्रित करने के लिए आवश्यक उपकरणों का क्रय करेगा और आकस्मिक योजना की तैयारी सहित सभी उचित उपाय करेगा , जिसमें त्वरित प्रतिक्रिया दल आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 या किसी अन्य प्रासंगिक अधिनियम और किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेशों या निर्देशों के अनुरूप कोई अन्य प्रावधान सम्मिलित है।

82. बंदियों की बाह्य अभिरक्षा, नियंत्रण और रोजगार

एक बंदी को जब किसी ऐसे कारा से बाहर ले जाया जा रहा हो, जिसमें वह विधिपूर्वक परिरुद्ध हो, या उसे उपस्थापन के लिए न्यायालय में या चिकित्सा उपचार के लिए अस्पताल में ले जाया जा रहा हो, या जब कभी वह बाहर कार्य कर रहा हो या किसी अन्य प्रकार से किसी ऐसे कारा की सीमाओं से परे हो, जो ऐसे कारा के किसी कारा अधिकारी या ऐसे कर्तव्य के लिए नियुक्त किसी अन्य अधिकारी की विधिपूर्वक अभिरक्षा या नियंत्रण में हो, तो उसे कारा में समझा जाएगा और वह सभी निर्देशों और अनुशासन के अधीन होगा, मानो वह वास्तव में कारा में हो।

83. कारा विकास बोर्ड

1. राज्य सरकार श्रेष्ठतर कारा प्रबंधन, बंदियों के लिए सुधारात्मक और संशोधनात्मक गतिविधियों तथा कारा कर्मचारियों के कल्याण के लिए कारा के आधारभूत संरचना और सुविधाओं के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से कारा विकास बोर्ड की स्थापना कर सकती है।

2. ऐसे बोर्ड की संरचना, उसके उत्तरदायित्व तथा शासन का प्रकार आदि ऐसा होगा जैसा नियमों के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा।

84. शक्तियों का प्रत्यायोजन

इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और पालन ऐसे अधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा जिन्हें सरकार इस संबंध में चिह्नित करे।

85. लेखा एवं अंकेक्षण

प्रत्येक कारा के लेखा का संरक्षण और अंकेक्षण इस प्रकार से किया जाएगा, जैसा सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए।

86. सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण

इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या निर्गत किए गए आदेशों या निदेशों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में सरकार या सरकार के किसी पदाधिकारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

87. सरकार की नियम बनाने की शक्तियाँ

सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अनुरूप नियम बना सकती है जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

1. उस कृत्य को परिभाषित करना जो काराअपराध माना जाएगा;
2. कारा-अपराधों को गंभीर और छोटे अपराधों में वर्गीकृत करना;
3. इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय दण्ड निश्चित करना जो कारा अपराध या उसकी श्रेणियों के लिए दिए जाएंगे;
4. उन परिस्थितियों की घोषणा करना जिनमें कारा अपराध और भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत अपराध दोनों का गठन करने वाले कृत्यों को कारा-अपराध के रूप में माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता है;
5. सजा कम करने के लिए अंक (मार्क) या परिहार प्रदान करने के लिए;
6. किसी भी बंदी या बंदियों के समूह के विरुद्ध किसी उपद्रव या पलायन के प्रयास के मामले में हथियारों के उपयोग को विनियमित करना;
7. उन परिस्थितियों को परिभाषित करना और उन शर्तों को विनियमित करना जिनके अंतर्गत मृत्यु के खतरे में बंदियों को कारा मुक्त किया जा सकता है;
8. वर्तमान कारा का नाम बदलने या नवनिर्मित कारा का नाम निर्धारित करने के लिए
9. कारा के वर्गीकरण, तथा कक्षो, प्रकोष्ठ और अन्य निरूद्ध स्थानों के वर्णन और निर्माण के लिए;
10. प्रत्येक वर्ग के कारा में बंद किए जाने वाले बंदियों की संख्या, अवधि या सजा के स्वरूप या अन्यथा विनियमन के लिए;
11. कारा के प्रशासन के लिए तथा इस अधिनियम के अधीन नियुक्त सभी अधिकारियों की नियुक्ति के लिए;
12. आपराधिक बंदियों और सिविल बंदियों के भोजन, बिस्तर और कपड़ों के संबंध में, जिनका प्रबंध उनकी स्वयं की लागत से नहीं किया जाता है;
13. कारा के भीतर या बाहर सिद्धदोष बंदियों के रोजगार, निर्देश और नियंत्रण के लिए;
14. उन वस्तु को परिभाषित करना जिनका बिना उचित प्राधिकार के कारा में प्रविष्ट या निष्कासन प्रतिबंधित है;
15. श्रम के रूपों को वर्गीकृत और निर्धारित करने तथा श्रम से विश्राम की अवधि को विनियमित करने के लिए ;
16. बंदियों के रोजगार से प्राप्त आय के व्यवस्थापन को विनियमित करने के लिए;
17. सुरक्षा वर्गीकरण और बंदियों के पृथक्करण सहित वर्गीकरण के लिए;
18. अधिनियम के अध्याय X में दिए गए प्रावधान के अनुसार बंदियों के कारावास को विनियमित करने के लिए।
19. इतिवृति पत्रक की तैयारी और संरक्षण के लिए;
20. कारा अधिदर्शक के रूप में बंदियों के चयन और नियुक्ति के लिए;
21. अच्छे आचरण के लिए पुरस्कार हेतु;

22. ऐसे बंदियों के स्थानांतरण को विनियमित करने के लिए जिनकी कारावास की अवधि समाप्त होने वाली है; तथापि, किसी अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की राज्य सरकार की सहमति के अधीन, जिसमें बंदी को स्थानांतरित किया जाना है;
23. बंदियों के अपील और याचिकाओं के प्रसारण तथा उनके मित्रों के साथ उनके संवाद को विनियमित करने के लिए;
24. कारा में परिदर्शक की नियुक्ति एवं मार्गदर्शन के लिए;
25. इस अधिनियम के अधीन कोई भी या सभी उपबंधों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 457 के अधीन नियुक्त उप कारा या विशेष कारा स्थानों पर तथा उनमें नियोजित अधिकारियों और परिरुद्ध बंदियों पर विस्तारित करने के लिए;
26. कारा के डिजिटल रूपांतरन के लिए;
27. कारा में सुरक्षा प्रौद्योगिकी अधिष्ठापन के लिए;
28. कारा में साइबर सुरक्षा के लिए;
29. बंदियों के प्रवेश, अभिरक्षा, रोजगार, आहार, उपचार और मुक्ति के संबंध में ;
30. आवश्यकता और अपेक्षाओं के अनुसार कारा और सुधारात्मक सेवाओं में नए पद स्वीकृत करने के लिए;
31. कारा अधिकारियों के नए कर्तव्यों को जोड़ने या हटाने के साथ परिभाषित कर्तव्यों के दायरे को बढ़ाने के लिए;
32. कारा हस्तक में संशोधन हेतु प्रस्ताव;
33. कारा प्रबंधन और उससे संबंधित कोई भी मामला: और
34. सामान्यतः इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए।

88. निरसन और व्यावृति

1. झारखंड राज्य पर लागू कारा अधिनियम, 1894 (1894 का 9), बंदी अधिनियम, 1900 (1900 का 3) और बंदी स्थानांतरण अधिनियम, 1950 (1950 का 29) को इसके द्वारा निरस्त किया जाता है।

2. इस अधिनियम के होते हुए भी, इन अधिनियमों के अधीन बनाए गए और इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृत्त कारों से संबंधित सभी नियम, विनियम, आदेश, निदेश, अधिसूचनाएं, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत या प्रतिकूल हैं, तब तक प्रवृत्त बनी रहेंगी जब तक कि उन्हें इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा परिवर्तित, संशोधित या निरसित नहीं कर दिया जाता।

89. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

1. यदि इस अधिनियम के किसी उपबंध को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी या ऐसे उपाय कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

2. सरकार उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित कर सकेगी जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्वतर किसी तारीख से प्रभावी होगा ।

उद्देश्य एवं हेतु

संप्रति कारा प्रशासन एवं प्रबंध के लिए निम्नांकित अधिनियम कार्यरत है।

1. The Prisons Act, 1894
2. The Prisoners Act, 1900
3. The Transfer of Prisoners Act, 1950

उल्लेखनीय है कि मुख्यतः पहले दो अधिनियम सौ वर्षों से भी अधिक समय के पूर्व तैयार एवं लागू किए गये जो कि तत्कालिन औपनिवेशिक परिस्थियों को ध्यान में रखकर बनाए गये थे तथा लागू किए गये थे।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई जनहित याचिका अंतर्गत कारा सुधार के संबंध में कई महत्वपूर्ण परामर्श तथा निदेश दिये गये है। जिसके परिणामस्वरूप में दंड की अवधारणा में महत्वपूर्ण Paradigm Shift हुआ है। कारा जो पूर्व में दंडात्मक (Penal) संस्था थी तथा दंड की प्रकृति retributive थी अब दंड की प्रकृति सुधारात्मक हो गई है तथा कारा को सुधारात्मक संस्था के तौर पर देखा जाता है।

दण्ड की अवधारणा में उक्त Paradigm Shift के आलोक में यह आवश्यक है कि The Prison Act, 1984, The Prisoners Act, 1900 तथा The Transfer of Prisoners Act, 1950 जो सुधारात्मक एवं मानवाधिकार की अपेक्षा दण्ड पर आधारित है, के स्थान पर नये अधिनियम का enactment हो जिसमें संवैधानिक अवधारणा पर आधारित मावनाधिकार एवं सुधार की प्रमुखता हो।

इस संदर्भ में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अर्द्ध सरकारी पत्र DO NO.17013/22/202-PR, दिनांक-10.05.2023 (Annexure-1) द्वारा पूर्व के तीनों अधिनियम The Prison Act, 1984, The Prisoners Act, 1900 तथा The Transfer of Prisoners Act, 1950 को अपने राज्य की Jurisdiction के अंतर्गत Bureau of Police Research and Development, द्वारा तैयार Model Prison and Correctional Services Act, 2023 का प्रारूप भेजते हुए अपने राज्य की परिस्थितियो के अनुसार Modification कर एक नये The Jharkhand Prisons & Correctional Services Act, 2024 द्वारा repeal करने का सुझाव दिया गया है, क्योंकि कारा के विषय में अधिनियम एवं कानून बनाने की शक्ति, भारत के संविधान के 7वें अनुसूची (Schedule) के अंतर्गत State list में सन्निहित है।

(भार-साधक सदस्य)